न्यायालय :सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, माण्डल, भीलवाडा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – अंजना अग्रवाल, RJS
फौजदारी प्रकरण संख्या – 29/2016
सीआईएस नंबर – 98/2016
एफआईआर नंबर – 329/2015 थाना मांडल
CNR No. – RJBW170001162016

राज्य

––अभियोगी

– विरूद्ध –

1. हरपाल कौर पिता किशनलाल मीणा, निवासी नंदरामपुरवास, पुलिस थाना धारूहेड़ा , जिला रेवाड़ी (हरियाणा)(राज.) **(मृत्यू होने से कार्यवाही ड्रॉप दिनांक 16.12.2025)**
2. नवदीप अहीर पिता श्री धर्मवीर अहीर, निवासी नंदरामपुरवास , पुलिस थाना धारूहेड़ा , जिला रेवाड़ी (हरियाणा) (राज.)
3. सुरेंद्र सिंह पिता प्रतापसिंह अहीर निवासी बुचावास, थाना महेन्द्रगढ़, जिला महेन्द्रगढ़ (हरियाणा)
4.नरेश कुमार पिता रामचंद्र अहीर, निवासी भगड़ाना, थाना कनीना, जिला महेन्द्रगढ़ (हरियाणा)

––––अभियुक्तगण

अपराध अन्तर्गत धारा 19/54, 19/54ए राजस्थान आबकारी अधिनियम

उपस्थितः–
1. सहायक अभियोजन अधिकारी, राज्य सरकार की ओर से अनुपस्थित।
2. श्री यतिंद्र चौधरी विद्वान अधिवक्ता, अभियुक्त नरेश की ओर से।
3. श्री एकलिंग व्यास विद्वान अधिवक्ता, अभियुक्तगण नवदीप व सुरेंद्र की ओर से।

– निर्णय – **दिनांक– 19.03.2026**

घटना की दिनांक	08.10.2015
प्रथम सूचना रिपोर्ट की दिनांक	08.10.2015
आरोप पत्र पेश किए जाने की दिनांक	06.02.2016
आरोप विरचित किये जाने की दिनांक	02.05.2017
साक्ष्य प्रारंभ किए जाने की दिनांक	02.05.2017
बयान मुल्जिम लिए जाने की दिनांक	1. अभियुक्त सुरेंद्र 11.11.2025 (अतिरिक्त बयान मुलजिम 10.03.2026) 2. अभियुक्त नरेश 11.11.2025 (अतिरिक्त बयान मुलजिम 10.03.2026)

	3. अभियुक्त नवदीप 27.01.2026 (अतिरिक्त बयान मुलजिम 27.02.2026)
निर्णय सुरक्षित रखे जाने की दिनांक	19.03.2026
निर्णय सुनाए जाने की दिनांक	19.03.2026
सजा आदेश यदि हो तो	अभियुक्त सुरेंद्र दोषमुक्त, अभियुक्त नवदीप व नरेश दोषसिद्ध

1– प्रकरण के सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी दातार सिंह ने दिनांक 08.10.15 को एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि आज दिनांक 08.10.15 को समय 10.30 ए.एम. पर उसको चौकी मांडल पर जरिये मोबाईल मुखबीर इत्तला मिली कि ट्रक नम्बर एच.आर.66.ए.8304 अजमेर की तरफ से आ रहा है। जिसमें चावलों के कट्टों के नीचे हरियाणा निर्मित अंग्रेजी शराब भरी हुई है जो अहमदाबाद से जा रहा है। इत्तला पर वह मय हेमसिंह ए.एसआई एच.सी 1157 चिराग अली, कानि. नारायणलाल 1628 के चौकी मांडल से रवाना होकर चौकी के सामने हाईवे रोड पर अजमेर की तरफ से आने वाली रोड पर नाकाबंदी हेतु खड़े हुए। नाकाबंदी के दौरान समय 11.45 ए.एम. पर मुखबीर के बताये अनुसार ट्रक नम्बर एच.आर. 66.ए.8304 अजमेर की तरफ से आया, जिसे हाथ का इशारा देकर रूकवाया ट्रक चालक से नाम पता पूछने पर चालक ने अपना नाम हरपाल पिता किशनलाल मीणा, उम्र 32 साल, निवासी नंदरामपुरावास, थाना धारूहेडा जिला रेवाड़ी हरियाणा व खलासी ने अपना नाम नवदीप पिता धर्मवीर जाति अहीर उम्र 19 साल निवासी नंदरामपुरवास, थाना धारूहेड़ा जिला रेवाड़ी हरियाणा बताया जिनसे ट्रक में क्या है बाबत् पूछने पर बिल्टी पेश कर बताया कि कणीना (नारनोल) से सोनू नामक व्यक्ति ने उसे ट्रक व बिल्टी देकर अहमदाबाद खाली करने को दिया है इस पर मुखबीर द्वारा बताई इत्तला अनुसार ट्रक में लगे तिरपाल को पीछे कानि हंसराज 557 व कानि. अमरसिंह 993 को ट्रक पर चढ़कर चैक करने को कहा तो ट्रक में चावलों के कट्टे को चैक करने पर अंग्रेजी शराब की पेटियां भरी हुई रखी हुई मिली। इस पर सी.ओ. साहब मांडल को जरिये टेलीफोन सूचित कर चालक से अंग्रेजी शराब परिवहन करने का लाईसेंस व परमिट मांगा तो नहीं होना बताया। कानि. 1487 शैतान सिंह से कार्रवाई हेतु दो स्वतन्त्र गवाह तलब किये। जिससे गवाहार महाबीर दास व दिलीप कुमावत को लाकर पेश किया जिनको इतला मुखबीर की कार्यवाही से अवगत कराकर स्वतन्त्र गवाह बनने हेतु कहा जिन्होंने स्वतन्त्र गवाह बनने हेतु स्वीकार किया। CO साहब श्री पूरणसिंह भाटी साहब को जरिये टेलिफोन सूचित कर कार्यवाही हेतु ट्रक मय भरे हुए माल मय ड्राईवर व खलासी हमरा जाप्ता मय गवाहान के लेकर रवाना होकर समय 12.30 PM पर थाने पहुंचा व थाना परिसर में गवाहान के समक्ष ट्रक के तिरपाल को हटाकर मुलजिमान व गवाहान की इमदाद से ट्रक में भरे हुए चावल के कट्टों में अंग्रेजी शराब के कार्टूनों को खाली करवाकर चैक करने पर बीयर के 80 कार्टून जिसमें प्रत्येक में 24–24 केन 500 ML. की जिस पर यूनिट हरियाणा UNIT HARIYANA BREWERIWS 8% लिखा हुआ कुल 1920 केन फुल भरी हुई सील शुदा मिली व रॉयल गोल्ड के 70 कार्टून प्रत्येक में 12–12 बोतल 750 ML. B. NO 01 JUL 15 बोतल पर FOR SALE HARIYANA ONLY डिलक्स (DELUXE WISKY लिखा हुआ मिली कुल 840 बोतल भरी हुई सीलशुदा मिली व NIXE WISKY के 80 कार्टून प्रत्येक में 12–12 बोतल किर FOR SALE HARIYANA ONLY B. NO 38 SEPT 20/5/11 प्रत्येक 750 ML. की सीलशुदा भरी हुई मिली व ROYEL STAGE के 20 कार्टून प्रत्येक कार्टून में 12–12 बोतल कुल 240 बोतल 750 ML की फूल भरी हुई मिली व DRY GIN 50 मे 48–48 पव्वे B.NO

09/AUG/2015/L4 प्रत्येक पव्वा 180 ML का फूल भरा सीलशुदा मिले कुल पव्वे 2400 भरे हुए मिले तथा 200 कट्टे चावलों के भरे हुए जिन पर SHUBH MONGRA With SELLA BASMATI RICE 25 Kg लिखा हुआ मिला इतनी मात्रा में शराब 1920 कैन बीयर 80 कार्टून में 170 कार्टून में बोतले कुल 2024 बोतले व 50 कार्टून पव्वे कुल 2400 पव्वे अंग्रेजी शराब हरियाणा निर्मित का परिवहन करने का लाईसेस व परमीट न होने पर ड्राईवर हरपाल व खलासी नवदीप का फैल 19/54 एक्साईज एक्ट का पाया जाने पर कब्जे पुलिस लेकर समस्त बियर कार्टून 80 का एक मार्का ही मार्का होने से एक वास्ते परीक्षण FSL. हेतु अलग से निकालकर शील मोहर कपडे में कर नमूना कैन पर मार्का A से व निकाले सैंपल कार्टून व अन्य कार्टून पर A1 से A 80 तक मार्का लगाया गया (2) रॉयल गोल्ड कार्टूनों पर एक ही मार्का होने से एक कार्टून में से एक बोतल वास्ते परिक्षण निकालकर नमुना शील बोतल को ग्रीन मोहर कर मार्का B व सेम्पल निकाले गये कार्टून पर B1 व अन्य कार्टून पर 82 से B 70 लगाया (3) NIXE WISKY के सभी कार्टूनों में भरी बोतलो पर एक ही मार्का होने से एक बोतल एक कार्टून में से एक बोतल वास्ते परीक्षण FSL. हेतु अलग से निकालकर सील मोहर का मार्का C लगाया गया निकाला गया सैम्पल कार्टून व अन्य कार्टूनो पर मार्का C1 से C 80 तक लगाया गया (4) रायल स्टेज के 20 कार्टून मे भरी सभी बोतलो पर एक ही मार्का होने से एक कार्टून में से एक बोतल वास्ते नमूना सेम्पल हेतु अलग निकाल कर नमूना सैंपल को मार्क D व निकाले गये सैंपल कार्टून व अन्य कार्टूनों पर मार्का D1 से D20 लगाया गया। (5) DRYGIN के 50 कार्टून में भरे पव्वे सभी एक ही मार्का के होने से एक कार्टून में से एक शील सुदा वास्ते परीक्षण हेतु नमुना सैम्पल निकालकर शील मोहर कर मार्का E निकाले गये नमूना सैंपल व अन्य कार्टूनों पर मार्का E1 से E 50 लगाया गया। फर्द जती शराब व चावल मुर्तिब कर नमूना शील फर्द पर अंकित की गई। ट्रक न. HR 66–A–8304 व ट्रक में मिले कागजात व बिल्टी जरिये फर्द जप्त किये गये व मुल्जिमान हरपाल व नवदीप को जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया.....इत्यादि। रिपोर्ट पर प्रकरण संख्या 29/2016 धारा 19/54 राजस्थान आबकरी अधिनियम में पंजीबद्ध किया जाकर अनुसंधान प्रारंभ किया। बाद आवश्यक अनुसंधान पुलिस थाना मांडल द्वारा अभियुक्तगण हरपाल व नवदीप के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम के आरोप में आरोप पत्र दिनांक 06.02.2016 को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया एवं अभियुक्तगण सुरेंद्र व नरेश के विरूद्ध धारा 299 सीआरपीसी में आरोप पत्र प्रस्तुत किया। जिस पर अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रसंज्ञान लिया गया तथा प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया गया। कालांतर में दिनांक 04.07.2016 को अभियुक्त सुरेंद्र के विरूद्ध धारा 19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम एवं दिनांक 05.12.2017 को अभियुक्त नरेश के विरूद्ध धारा 19/54 ए राजस्थान आबकारी अधिनियम में तितंबा चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

2– अभियुक्तगण हरपाल, नवदीप व सुरेंद्र को अपराध अन्तर्गत धारा 19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम का आरोप एवं अभियुक्त नरेश को अपराध अन्तर्गत धारा 19/54 ए राजस्थान आबकारी अधिनियम का आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्तगण ने आरोप से इंकार कर, अन्वीक्षा चाही।

3. अभियुक्त हरपाल कौर पिता किशनलाल की मृत्यू होने से दिनांक 16.12.2025 को कार्यवाही ड्रॉप की गई।

अभियोजन गवाह

क्रम सं.	नाम	साक्ष्य प्रकृति
पी.डब्ल्यू. 01	महावीर	स्वतंत्र गवाह
पी.डब्ल्यू. 02	हेमसिंह राणावत	चश्मदीद गवाह

पी.डब्ल्यू. 03	दिलीप	स्वतंत्र गवाह
पी.डब्ल्यू. 04	दातार सिंह	एफआईआर कर्ता
पी.डब्ल्यू. 05	नारायण	चश्मदीद गवाह
पी.डब्ल्यू. 06	हंसराज	चश्मदीद गवाह
पी.डब्ल्यू. 07	कमलेश कुमार	मालखाना इचार्ज
पी.डब्ल्यू. 07	चिराग अली (सहवन से पुनः अंकित)	चश्मदीद गवाह
पी.डब्ल्यू. 08	शैतानसिंह	चश्मदीद गवाह
पी.डब्ल्यू. 09	राकेश	फर्द तस्दीक नक्शा मौका
पी.डब्ल्यू. 10	प्रदीप कुमार	तात्विक गवाह
पी.डब्ल्यू. 11	बुधराम	फर्द गिरफतारी मुलजिम नरेश कुमार
पी.डब्ल्यू. 12	जयप्रकाश	तात्विक गवाह
पी.डब्ल्यू. 13	मुकुंद	अनुसंधान अधिकारी
पी.डब्ल्यू. 14	हिंदूलाल	एफएसएल प्राप्ति रसीद
पी.डब्ल्यू. 15	सतीश कुमार	तात्विक गवाह
पी.डब्ल्यू. 16	हरीश कुमार	चार्जशीट

अभियोजन दस्तावेज सूची

क्रम सं.	प्रदर्श	विवरण
01	प्रदर्श पी 01	फर्द जप्ती कागजात ट्रक व बिल्टी चावल
02	प्रदर्श पी 02	फर्द जप्ती अंग्रेजी शराब व चावल के कट्टे
03	प्रदर्श पी 03	फर्द नक्शा मौका
04	प्रदर्श पी 04	तहरीरी रिपोर्ट
05	प्रदर्श पी 05	चाक एफआईआर
06	प्रदर्श पी 06	फर्द जप्ती ट्रक
07	प्रदर्श पी 07	फर्द गिरफतारी मुलजिम हरपाल
08	प्रदर्श पी 08	फर्द गिरफतारी मुलजिम नवदीप
09	प्रदर्श पी 09	फर्द तस्दीक नक्शा मौका
10	प्रदर्श पी 10	धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की फर्द इत्तिला
11	प्रदर्श पी 10	फर्द गिरफतारी अभियुक्त नरेंद्र (सहवन से पुनः अंकित)
12	प्रदर्श पी 11	फर्द नक्शा मौका तस्दीक अभियुक्त हरपाल

13	प्रदर्श पी 12	वाहन चालक हरपाल द्वारा पेश की गई आरसी
14	प्रदर्श पी 13	वाहन से संबंधित नेशनल परमिट पार्ट ए
15	प्रदर्श पी 14	वाहन से संबंधित नेशनल परमिट पार्ट बी
16	प्रदर्श पी 15	वाहन का इंश्योरेंस व पोल्यूशन प्रमाण–पत्र व फार्म 17
17	प्रदर्श पी 16	वाहन में भरे चावलों के संबंध में बिल व बिल्टी
18	प्रदर्श पी 17	एफएसएल हेतु अग्रेषण पत्र
19	प्रदर्श पी 17	इश्योरेंस व पॉल्यूशन (सहवन से पुनः अंकित)
20	प्रदर्श पी 17	मालखाना रजि. की प्रति (सहवन से पुनः अंकित)
21	प्रदर्श पी 18	प्राप्ति रसीद
22	प्रदर्श पी 19	चार्जशीट
23	प्रदर्श पी 20	तितंबा चार्जशीट
24	प्रदर्श पी 21	अग्रेषण पत्र एफएसएल हेतु
25	प्रदर्श पी 22 ए	आरसी फॉम नंबर 24
26	प्रदर्श पी 23	रजिस्टर में एंट्री

न्यायालय द्वारा प्रदर्शित दस्तावेजात

क्रम सं.	प्रदर्श	विवरण
01	प्रदर्श सी 01	एफएसएल रिपोर्ट

4– अभियुक्तगण सुरेंद्र व नवदीप का परीक्षण अन्तर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता में किया गया तो उन्होंने अभियोजन साक्ष्य एवं दस्तावेजात को गलत होना बताया। अभियुक्त नरेश का परीक्षण अंतर्गत धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता में किया तो उसने स्वयं को निर्दोष होकर झूठा फंसाये जाने का कथन किया। साथ ही कथन किया कि उसने अपनी गाडी को सन 2014 में विक्रय कर दी थी उसके बाद गाडी का क्या हुआ तथा उस गाडी को किस काम में लिया गया उसकी जानकारी में नही है। अभियुक्तगण द्वारा साक्ष्य सफाई पेश नहीं करना चाहा जिस पर साक्ष्य सफाई का अवसर समाप्त किया गया।

5– अभियुक्तगण अपीलीय न्यायालय में हाजरी बाबत् धारा 437–ए दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के तहत छः माह की अवधि हेतु 10 हजार रुपये का स्वयं का मुचलका एवं जमानत पेश कर तस्दीक करवाये गये।

6– बहस अंतिम सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अब न्यायालय के समक्ष विचारणीय प्रश्न यह है किः–

1– दिनांक 08.10.2015 को समय 12:30 पी.एम. मौजा माण्डल चौराहा, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 79, थाना माण्डल से अभियुक्तगण सुरेंद्र व नवदीप के सचेतन्य ट्रक संख्या HR 66A 8304 में कब्जेशुदा अंग्रेजी शराब 80 कार्टूनों में जिनमें प्रत्येक में 24–24 केन 500 कुल 1920 केन जिन पर Unit Hariyana Brewweriws 8% लिखा हुआ, इसके अलावा रॉयल गोल्ड 70 कार्टून प्रत्येक में 12–12 बोतल 750 एम.एल. बी.एन. 01, 15

बोतल डिलक्स व्हीसकी कुल 840 बोतल, निक्स व्हिस्कि के 80 कार्टून जिसमे 12–12 बोतल 750 एम.एल. ड्राई जिन के 50 कार्टून जिसमें 48–48 पव्वे प्रत्येक पव्वा 180 एम.एल. के कुल 2400 पव्वे व 1920 केन बियर 80 कार्टून मे, 170 कार्टून के कुल 2024 बोतले व 50 कार्टून पव्वे कुल 2400 पव्वे अग्रेंजी शराब के बरामद हुये जिनको अपने पास रखने का अभियुक्तगण के पास कोई वैध लाईसेंस नहीं था।

2. अभियुक्त नरेश ने दिनांक 08.10.2025 को 4.15 पी.एम पर मांडल चौकी के सामने हाईवे पर दीगर अभियुक्तगण के साथ मिलकर ट्रक संख्या एच.आर. 66 ए 8304 में अग्रेंजी शराब 1920 केन बीयर 80 कार्टून, 170 कार्टून में कुल 2024 बोतलें एवं 50 कार्टून पव्वे कुल 2400 पव्वे अपने पास रखकर बिना वैध लाईसेंस के अपराध करने के प्रयोजन से उक्त वाहन प्रयोग में लिया।

3– यदि हां, तो अभियुक्तगण किस दण्ड से दण्डनीय होंगे?

उपरोक्त विचारणीय प्रश्न के निस्तारण हेतु बहस सुनी जाकर साक्ष्य की समीक्षा किया जाना आवश्यक है।

7– दौराने बहस अधिवक्ता अभियुक्तगण ने अभियुक्तगण को झूंठा फंसाये जाने का कथन किया। अधिवक्ता अभियुक्तगण ने तर्क दिए कि प्रकरण के स्वतंत्र गवाह महावीर ने शराब के कार्टून व चावल के कट्टे एवं ट्रक को नहीं देखने का कथन किया है। गवाह पीडब्ल्यू 03 दिलीप ने कार्टूनों में किस–किस प्रकार की शराब थी बता नहीं सकने का कथन किया है। अभियुक्तगण ने कोई अवैध शराब नहीं रखी है। अधिवक्ता अभियुक्त नरेश ने तर्क दिया कि उनके द्वारा वाहन ट्रक संख्या एच.आर. 66 ए 8304 को घटना से पूर्व ही सुरेंद्र को बेच दिया था इसलिए नरेश का प्रकरण से कोई लेना–देना नहीं है। अधिवक्ता अभियुक्त सुरेंद्र ने तर्क दिया कि सुरेद्र के द्वारा कोई ट्रक नहीं खरीदा गया है। अभियोजन की ओर से न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया है जिससे जाहिर होता हो कि ट्रक सुरेंद्र द्वारा नरेश से खरीदा गया हो। अभियुक्त सुरेंद्र का प्रकरण से कोई लेना–देना नहीं है। अभियोजन पक्ष के गवाहों ने न्यायालय के समक्ष विरोधाभासी कथन किए हैं। अभियोजन पक्ष अभियोजन साक्ष्य के माध्यम से अभियुक्तगण पर आरोपित अपराध साबित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्तगण को दोषमुक्त घोषित किए जाने का निवेदन किया।

8– सहायक अभियोजन अधिकारी के अनुपस्थित होने पर अधिवक्ता अभियुक्तगण को सुनकर गुणावगुण पर निस्तारण किया जा रहा है।

9– पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में कुल 16 गवाहों को परीक्षित कराया गया है।

10– प्रकरण में तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी 04 दातार सिंह द्वारा दर्ज करवाई गई है। दातारसिंह ने तहरीरी रिपोर्ट में उसका हेमसिंह, चिराग अली, शैतान सिंह, अमरसिंह, हंसराज, नारायणलाल के साथ मांडल चौकी से रवाना होकर हाईवे पर नाकाबंदी करने के कथन किए हैं। इस संदर्भ में गवाह पी.डब्ल्यू. 04 दातारसिंह के बयानों का अवलोकन करें तो गवाह पीडब्ल्यू 04 दातार सिह ने न्यायालय के समक्ष सशपथ बयानों में कथन किया कि वह दिनांक 08.10.2015 को पुलिस चौकी माण्डल पर एसआई के पद पदस्थापित था। उस दिन समय 10 एएम पर जरिये मुखबीर दूरभाष से इत्तला मिली कि एक ट्रक नंबर एचआर 66–ए–8304 अजमेर की तरफ से आ रहा है। जिसमें चावलों के कट्टों के नीचे अंग्रेजी शराब भरी हुई है। जो अहमदाबाद की तरफ जा रहा था। वह, एएसआई हेमसिंह, एचसी चिराग, कानि शैतान सिंह, अमरसिंह, हंसराज व नारायण चौकी माण्डल से रवाना हो चौकी के सामने हाईवे पर अजमेर की तरफ आने वाले रोड पर नाकाबंदी की। दौराने नाकाबंदी 11:45 एएम पर मुखबीर बताये इत्तला अनुसार ट्रक नंबर एचआर 66–ए–8304 जिसे हाथ का इशारा देकर रूकवाया व नाम पता पूछने पर चालक ने अपना नाम हरपाल व

खलासी नवदीप नाम होना बताया। ट्रक में क्या है इस बाबत पूछा तो ट्रक में चावल के कट्टे होना बताया। कबीना नारनौल से लेकर आना बताया व अहमदाबाद की तरफ जाना बताया। मुखबीर द्वारा बताये इत्तला अनुसार हंसराज व अमरसिह कानि से ट्रक को चेक कराने पर चावलों के कट्टों के नीचे अंग्रेजी शराब के कार्टून भरे हुए मिले। सीओ साहब को जरिये टेलीफोन को सूचित कर कानि शैतान सिंह से दो गवाह स्वतंत्र तलब किये। जिसने महावीर व दिलीप को लाकर पेश किया। वह गवाह के साथ ट्रक मय जप्तशुदा शराब मय चालक व खलासी के ट्रक को लेकर थाने पहुंचे व थाने पहुंच ट्रक का तिरपाल खुलवाकर ट्रक में भरे हुए चावल के कट्टे व शराब के कार्टून उतराकर चेक किया तो बीयर के 80 कार्टून व रॉयल गोल्ड के 70 कार्टून, डिलक्स विस्की के 80 कार्टून, रॉयल स्टेट के 20 कार्टून बोतलों के भरे हुए व प्रत्येक में 12 बोतल व डाईजेन के 50 कार्टून, जिसमें 48-48 पव्वे भरे हुए मिले व 200 कट्टे चावलों के भरे हुए मिले।कुल शराब बीयर के 1920 केन 170 कार्टन जिनमें 2040 बोतले सभी पर हरियाणा निर्मित परिवहन करने का लाईसेंस मांगा तो नहीं होना बताया। इस पर हरपाल व नवदीप को 19/54 एक्साईज एक्ट का अपराध पाये जाने पर समस्त शराब को कब्जे पुलिस लेकर एफएसएल भेजने हेतु बीयर के कार्टूनों में से सभी एक ही मार्का से एक केन अलग से निकालकर बाकी कार्टूनों पर सील चपडी लगाई गई। सैंपल केन पर मार्का ए व बाकी पर ए 1 से ए 80 मार्का लगाया गया। इसी प्रकार रॉयल गोल्ड कार्टून एक ही मार्का होने से एक कार्टून में से एक बोतल निकालकर सैंपल पर मार्का बी व बाकी कार्टून पर बी02 से बी70 लगाया गया। विस्की के कार्टूनों में से एक बोतल वास्ते एफएसएल अलग से निकालकर सील मोहर कर मार्का सी लगाया गया व सैंपल कार्टून पर मार्का सी01 से सी80 लगाया गया। रॉयल स्टेट के 20 कार्टूनों में सभी बोतल पर एक ही मार्का होने से सभी बोतल में से एक बोतल निकालकर कर मार्का डी व सैंपल पर मार्का डी01 से डी 20 लगाया गया। डाईजेन के 50 कार्टूनों में सभी पव्वों पर एक ही मार्का होने से एक पव्वा वास्ते परीक्षण हेतु नमूना सैंपल निकालकर सील मोहर मार्का ई व शेष पर ई 01 से ई 50 लगाया गया। फर्द जप्ती शराब व चावल मूर्तिब कर नमूना सील अंकित की गई। कागजात व बिल्टी जरिये फर्द जप्त किये गये। मुलजिमान हरपाल व नवदीप को जरिये फर्द गिरफतार किया गया। फर्द जप्तियां मय मुलजिमान के एसएचओ साहब के समक्ष पेश की व नियमानुसार मुकदमा दर्ज कराया गया। उसके द्वारा दी गई तहरीरी रिपोर्ट प्र.पी.04 है। चाक एफआईआर प्र.पी.05 है। प्र.पी.03 उसकी निशादेही से बनाया गया नक्शा मौका घटनास्थल है। प्र.पी.01 फर्द जप्ती व कागजात ट्रक है। प्र.पी.02 फर्द जप्ती शराब व चावल के भरे कट्टे हैं। प्र.पी. 06. फर्द जप्ती ट्रक है। प्र.पी.07 फर्द गिरफतारी मुलजिम हरपाल है। प्र. पी.08 फर्द गिरफतारी मुलजिम नवदीप है। दौराने अनुसंधान एसएचओ साहब ने उसे मुलजिम की इत्तला अनुसार मौका तस्दीक हेतु भेजा था। जिस पर उसने मौका तस्दीक की। जिसका फर्द नक्शा मौका प्र.पी.09 है। मुलजिम द्वारा उसे पुनः इत्तला दी कि जिसकी इत्तला के अनुसार धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की फर्द इत्तला बनाई गई, जो प्र.पी. 10 है। इत्तला अनुसार मौका तस्दीक मूर्तिब किया गया, जो प्र.पी. 11 है। वाहन चालक हरपाल द्वारा पेश की गई आरसी प्र.पी. 12 है। प्र.पी. 13 व 14 क्रमशः वाहन से संबंधित नेशनल परमिट पार्ट ए व पार्ट बी है। वाहन का इंश्योरेंस व पोल्यूशन प्रमाण-पत्र व फार्म 17 प्राप्त कर शामिल पत्रावली किया गया व प्र.पी. 15 वाहन में भरे चावलों के सबंध में बिल व बिल्टी प्र पी.16 है। श्याम रोड लाईटस के स्वामी द्वारा पेश की गई बिल्टी की फोटोप्रति प्राप्त कर शामिल पत्रावली किया गया। निशादेही से घटनास्थल से गवाह सोनू उर्फ प्रदीप, सुरेश कुमार, योगेश, जयप्रकाश, सतीश के बयान उनके कहे अनुसार लेखबद्ध किये गये। बाद मौका तस्दीक आरटीओ रिपोर्ट व मुलजिमान की तस्दीक के पत्रावली पुनः एसएचओ साहब को वास्ते अनुसंधान हेतु भेजी। दौराने गवाह परीक्षण थाना माण्डल से माल की स्थिति बाबत जानकारी चाही गई। जिस संबंध में उनके द्वारा मालखाना रजिस्टर की स्वयं द्वारा प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराकर न्यायालय को अवगत कराया कि प्रकरण का माल पूर्व में

नियमानुसार निस्तारित किया जा चुका है। जिसकी फोटोप्रति प्र.पी.17 होकर शामिल पत्रावली किया। दौराने जिरह अधिवक्ता अभियुक्तगण गवाह ने कथन किया है दिनांक 08.10.2015 को मुखबीर की सूचना प्राप्त होते समय वह अकेला था व इसकी जानकारी केवल उसे ही थी। वह हरपाल व नवदीप को नहीं जानता है। वक्त नाकाबंदी रूकवाए हुए ट्रक में चावल किस किस्म के थे, उसकी जानकारी में नही है व कितने वजनी में थे, उसकी जानकारी में नहीं है। वक्त नाकाबंदी रूकवाए गए ट्रक के शराब के कार्टूनों को उस वक्त उसने नहीं खोला था। यह कहना सही है के वक्त नाकाबंदी उसने वाहन में शराब होने का अंदेशा होते हुए मौके पर वाहन व शराब को जप्त नहीं किया। उसने जप्तशुदा शराब का सैंपल प्रत्येक कार्टूनों व प्रत्येक बोतल से न लेकर केवल एक वैरायटी में से एक सैपल लिया था। यह कहना सही है कि जप्तशुदा शराब कहां से लाई गई, उसके बारे में उसका कोई अनुसंधान नहीं है। उसको नाकाबंदी की कार्रवाई में 2 घंटे लगे थे। यह कहना सही है कि उसने जप्तशुदा शराब का वजन नहीं कराया। माण्डल चौकी से पुलिस थाना माण्डल आने में 10 मिनट लगते हैं। उसने माण्डल थाना आते ही एफआईआर दर्ज नहीं करवाई। एफआईआर उसने 3–4 घंटे बाद दर्ज करवाई। एफआईआर उसने 3–4 घंटे बाद इसलिये दर्ज करवाई क्योंकि वह उक्त प्रकरण की कार्रवाई में व्यस्त था। इसलिये उसने 3–4 घंटे बाद उसकी हस्तलिपी रिपोर्ट प्रदर्श 4 एसएचओ साहब के समक्ष पेश की। मौके पर घटना स्थल पर उसके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। यह कहना सही है कि उसने मुखबीर की सूचना मिलने की बात उसके उच्च अधिकारियों को कही थी व उसके उच्च अधिकारियों के कहने से ही उसने नाकाबंदी की कार्रवाई की थी। उसने मुखबीर की सूचना उच्च अधिकारियों को दी उस समय सुबह 10 बज रहे थे। उसने परिवहन अधिकारी से अनुसंधान किया था। जप्तशुदा पेटियां व बोतले किस कलर की थी, आज उसे ध्यान नहीं। जप्तशुदा ट्रक में कुल कितनी पेटियां थी, जो वह फाइल देखकर बता सकता है। जप्तशुदा ट्रक एच आर 66 ए 8304 का मालिक सुरेंद्र सिंह पिता प्रताप सिंह हो और उसी के नाम पर गाड़ी हो यह वह आज नहीं बता सकता पत्रावली देखकर बता सकता है। उक्त जप्तशुदा वाहन का असली मालिक सुरेंद्र सिंह हो तो वह नहीं बता सकता। यह बात सही है कि सुरेंद्र सिंह पिता प्रताप सिंह के पजेशन में उक्त जप्तशुदा वाहन कैसे आया इस संबंध में उसने कोई अनुसंधान नहीं किया था। वह नहीं बता सकता कि उक्त जप्तशुदा वाहन सुरेंद्र सिंह ने वाहन मालिक से खरीदा हो और उसने अपने नाम पर ट्रांसफर नहीं कराया हो। वह नहीं बता सकता कि उसके द्वारा सुरेंद्र सिंह द्वारा उक्त जप्तशुदा वाहन खरीदने के संबंध में लिखे गये स्टाम्प व अन्य दस्तावेज उसने जप्त नहीं किये।

11– गवाह पीडब्ल्यू 04 दातारसिंह ने मौके पर उसके साथ हेमसिंह, चिराग अली, शैतान सिंह, अमरसिंह, हंसराज, नारायणलाल का होना बताया है। इस संबंध में गवाह पी.डब्ल्यू. 02 हेमसिंह के बयानों का अवलोकन करें तो गवाह पी .डब्ल्यू. 02 हेमसिंह राणावत ने सशपथ बयानों में कथन किया कि दिनांक 08.10.15 को वह थाना माण्डल में एएसआई के पद पर तैनात था। उस रोज दातार सिंह जी एसआई को जरिये मुखबिर इत्तला मिली की अजमेर की तरफ से आ रहा ट्रक नम्बर एचआर 66 ए 8304 में चावल के कट्टे है जिसके नीचे अंग्रेजी शराब भरी हैं जो अहमदाबाद लेके जा रहा है जिस पर दातारसिंह के साथ वह, एचसी चिरागअली, कॉनि शैतानसिंह, कॉनि अमरसिंह, कॉनि, हंसराज, कॉनि. नारायणलाल चौकी से रवाना होकर चौकी के सामने हाईवे रोड पर अजमेर की तरफ से आने वाले रोड पर नाकाबंदी हेतु खड़े हुये समय 11:45 एएम पर उक्त ट्रक अजमेर की तरफ से आया, जिसे रूकवाया व ट्रक चालक से नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम हरपाल होना बताया व खलासी का नाम नवदीप होना बताया व ट्रक में क्या है पूछने पर बिल्टी पेश कर बताया कि कणीना से सोनू नामक व्यक्ति ने ट्रक व बिल्टी देकर अहमदाबाद खाली करने को दिया है। इस पर थानेदार जी ने ट्रक पर लगे तिरपाल को हटाकर कॉनि. हंसराज व अमरसिंह को ट्रक पर चढ़कर चैक करने को कहा तो चावलों के कट्टे व अंग्रेजी शराब की

पेटियां भरी हुई मिलीं। इस पर थानेदार जी ने सीओ साहब को जरिये फोन सूचना दी व चालक से अंग्रेजी शराब परिवहन का लाइसेंस व परमिट मांगा तो नहीं होना बताया व कानि. को स्वतंत्र गवाह को लाने भेजा तो जिस पर महावीर दास व दिलीप कुमावत को लाकर पेश किया। थानेदार जी ने मौतबिरों को कार्यवाही से अवगत करवाया जिस पर वो स्वतंत्र गवाह बनने को सहमत हुये। अग्रिम कार्यवाही हेतु ट्रक मय माल मय चालक व खलासी मय गवाहान मय जाप्ता मौके से लेकर रवाना होकर 12:30 पीएम पर थाने पहुंचे व थाना परिसर में थानेदार जी ने गवाहान के समक्ष ट्रक के तिरपाल को हटाकर जाप्ता व गवाहान की इमदाद से ट्रक में भरे हुये चावल के कट्टे व अंग्रेजी शराब के कार्टूनों को खाली कराकर चैक करने पर बीयर के 80 कार्टून, जिसमें 500 एमएल बीयर की केन कुल 1920 केन सीलचिट मिली व रॉयल गोल्ड के 70 कार्टून, जिनमें प्रत्येक में 12–12 बोतल सीलशुदा मिली, रॉयल स्टेग के 20 कार्टन 12–12 बोतल सीलशुदा व ड्राई जीन के 50 कार्टून जिन 48–48 पव्वे भरे हुये मिले तथा 200 कट्टे चावल भरे हुये मिले। जिस पर थानेदार जी समस्त अवैध अंग्रेजी शराब बीयर ट्रक, ट्रक के कागज बिल्टी जरिये फर्द जब्त किया गया। चालक हरपाल व खलासी नवदीप को जरिये फर्द गिरफतार किया। दौराने जिरह अधिवक्ता अभियुक्तगण गवाह ने कथन किया है कि यह कहना सही है कि दातारसिंह जी को उक्त घटना की जानकारी मुखबीर ने कब दी उसका समय उसे पता नहीं। यह कहना सही है घटनास्थल पर पहुंचने के बाद वे लोग घटनास्थल को छोडकर और कही नहीं गये थे। वह, हरपाल व नवदीपसिंह को नही जानता, केवल घटना के दिन से ही जानता है। घटनास्थल पर जाप्ता पुलिस ने इन दोनों की व्यक्तियों से पूछताछ की तो इन दोनों ही व्यक्तियों ने चालक का नाम हरपाल बताया व खलासी का नाम नवदीप बताया। यह कहना सही है कि घटनास्थल पर चालक व खलासी ने अपने नाम गलत बताए हों तो उसे पता नहीं। जब्तशुदा ट्रक में कुल 170 कार्टून शराब के 3–4 ब्रांड के थे। इसके अतिरिक्त बीयर व ड्राई जीन के कार्टून अलग थे। जब्तशुदा शराब के कार्टून से 80 कार्टून रॉयल ब्रांड के थे शेष कार्टूनों के बारे में आज उसे पता नहीं। यह कहना गलत है कि उसके सामने कोई जब्ती नहीं हुई हो। उसके सामने ट्रक, शराब, चावल की जब्ती की गई। ट्रक का रजिस्टर ऑनर कौन था उसकी जानकारी में नहीं है।

12–गवाह पीडब्ल्यू 04 दातारसिंह व पीडब्ल्यू 02 हेमसिंह ने मौके पर उनके साथ चिराग अली, शैतान सिंह, अमरसिंह, हंसराज, नारायणलाल का होना बताया है। इस संबंध में गवाह पीडब्ल्यू 05 नारायण के बयानों का अवलोकन करें तो गवाह पी.डब्ल्यू 05 नारायण ने सशपथ बयानों में कथन किया है कि वह दिनांक 10.08.2015 को पुलिस थाना माण्डल में कानि के पद पर कार्यरत था। उस दिनांक को एसआई दातार सिंह के साथ मय जाप्ता माण्डल चौकी के सामने हाईवे पर नाकाबंदी की। नाकाबंदी के दौरान 11:45 एएम पर मुखबीर की सूचना मुताबिक एक ट्रक एचआर 66ए 8304 अजमेर की तरफ से आया, जिसे हाथ का ईशारा देकर रूकवाया। ट्रक चालक का नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम हरपाल पिता किशनलाल मीणा निवासी दारूखेडा होना बताया, खलासी ने अपना नाम नवदीप बताया। ट्रक में क्या है तो उसने बिल्टी पेश कर बताया कि सोनू नामक व्यक्ति ने ट्रक व बिल्टी देकर अहमदाबाद खाली करने को दिया। मुखबीर की सूचना के अनुसार ट्रक में तिरपाल को हटाया व चेक किया तो अंग्रेजी शराब की पेटिया भरी रखी मिली, इस पर सीओ माण्डल को जरिये टेलीफोन सूचना दी व लाईसेंस व परमिट मांगा तो नहीं होना बताया। मौके पर स्वतंत्र गवाह मामूर किये तथा मौके की संपूर्ण कार्यवाही उच्चाधिकारी द्वारा उनके समक्ष की गई। दौराने जिरह अधिवक्ता अभियुक्तगण गवाह ने कथन किया गया है कि वे थाने से दस बजे रवाना हुए थे। दातारसिंह, हेमसिंह, हसराज, चिराग, अमरसिंह व वह रवाना हुए थे। नाकाबंदी के समय उक्त व्यक्ति ही मौजूद थे। थाने से रवानगी रपट पत्रावली में नहीं है। गाडी साढ़े ग्यारह बजे जप्त की थी। यह सही है कि गाडी के अंदर क्या सामान था उसने गाडी के अंदर जाकर चेक नहीं किया था। गाडी जप्ती के समय हंसराज व अमरसिंह ने गाडी में जाकर सामान चेक किया था। गाडी के अंदर पेटियां व चावल के कटटे थे। अन्य

कोई व्यक्ति मौजूद था या नहीं ये आईओ बता सकते है। पेटियां व कट्टे किस रंग के थे तथा उन पर क्या लिखा था आज उसे याद नहीं है।

13–गवाह पीडब्ल्यू 04 दातारसिंह, पीडब्ल्यू 02 हेमसिंह व पीडब्ल्यू 05 नारायण ने मौके पर उनके साथ चिराग अली, शैतान सिंह, अमरसिंह, हंसराज का होना बताया है। इस संबंध में गवाह पीडब्ल्यू 07 चिराग अली के बयानों का अवलोकन करें तो गवाह पी.डब्ल्यू 07 चिराग अली ने सशपथ बयानों में कथन किया है कि दिनांक 08.10.2015 को वह थाना माण्डल पर हेडकानि. के पद पर तैनात था। उसी दिन वह, दातार सिंह, हेमसिंह, कॉनि. शैतान, अमरसिंह, हंसराज व नारायण के साथ मुखबीर की सूचना के मुताबिक अजमेर से आने वाले रोड पर नाकाबंदी कर रहे थे। समय 11.45 एएम पर ट्रक एचआर 66 ए 8304 अजमेर की तरफ से आया। जिसे एस आई दातार सिंह ने हाथ देकर रूकवाया, चालक का नाम पूछा तो हरपाल मीणा व खल्लासी ने अपना नाम नवदीप अहीर होना बताया। ट्रक का तिरपाल हटवाया जाकर कॉनि. हंसराज व अमरसिंह से चेक करवाया, अंदर बॉडी में चांवल के कट्टे उसके नीचे अंगेजी शराब के कार्टून रखे हुए होना बताया। एसआई दातार सिह द्वारा उक्त अंग्रेजी शराब के लाइसेंस परमिट बाबत पूछा तो नहीं होना बताया। मौके पर स्वतंत्र गवाह महावीर वैष्णव व दिलीप कुमावत उपस्थित आए। मौके से 12.30 पीएम पर वे सभी रवाना हो थाने पर आकर दातार सिह द्वारा अवैध शराब व चांवल के कट्टे व ट्रक की जप्ती की कार्रवाई की जिसमें 200 कट्टे चांवल के, 170 कार्टून हरियाणा ब्राण्ड की बोतलों के कार्टून 50 कार्टून हरियाणा निर्मित अंग्रेजी शराब के पव्वों के व 80 कार्टून बीयर की बोतलों व ट्रक मय उसमे मिले दस्तावेज जप्त किये। मुल्जिम हरपाल व नवनीत को जरिये फर्द गिरफतार किया। दौराने जिरह अधिवक्ता अभियुक्तगण गवाह ने कथन किया है कि यह कहना गलत है कि दिलीप कुमावत व महावीर पहले से ही घटनास्थल पर खड़े हो। यह कहना सही है कि उसने जब्तशुदा कार्टून एवं चोरी के कट्टो को जब्ती के समय देखा था। जब्तशुदा चावल के कट्टे एवं शराब के कार्टूनों पर क्या मार्का था यह उसे अभी याद नहीं है। वह नाकाबंदी के लिए थाने से गया था। नाकाबंदी करने की जानकारी उसे सुबह 10 बजे जब्ती अधिकारी दातार सिंह से मिली थी।

14– गवाह पीडब्ल्यू 04 दातारसिंह, पीडब्ल्यू 02 हेमसिंह, पीडब्ल्यू 05 नारायण व पीडब्ल्यू 07 चिराग अली ने मौके पर उनके साथ शैतान सिंह, अमरसिंह, हंसराज का होना बताया है। इस संबंध में गवाह पीडब्ल्यू 06 हंसराज के बयानों का अवलोकन करें तो गवाह पी.डब्ल्यू 06 हंसराज ने सशपथ बयानों में कथन किया है कि वह दिनांक 10.08.2015 को पुलिस थाना माण्डल में कानि के पद पर कार्यरत था। उस दिनांक को एसआई दातार सिंह के साथ मय जाप्ता माण्डल चौकी के सामने हाईवे पर नाकाबंदी की। नाकाबंदी के दौरान 11:45 एएम पर मुखबीर की सूचना मुताबिक एक ट्रक एचआर 66ए 8304 अजमेर की तरफ से आया। जिसे हाथ का ईशारा देकर रूकवाया। ट्रक चालक का नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम हरपाल पिता किशनलाल मीणा निवासी दारूखेडा होना बताया, खलासी ने अपना नाम नवदीप बताया। ट्रक में क्या है तो उसने बिल्टी पेश कर बताया कि सोनू नामक व्यक्ति ने ट्रक व बिल्टी देकर अहमदाबाद खाली करने को दिया। मुखबीर की सूचना के अनुसार ट्रक में तिरपाल को हटाया व चेक किया तो अंग्रेजी शराब की पेटिया भरी रखी मिली इस पर सीओ माण्डल को जरिये टेलीफोन सूचना दी व लाईसेंस व परमिट मांगा तो नहीं होना बताया। मौके पर स्वतंत्र गवाह मामूर किये तथा मौके की संपूर्ण कार्यवाही उच्चाधिकारी द्वारा उनके समक्ष की गई। प्र.पी. 11 मौका तस्दीक है। दौराने जिरह अधिवक्ता अभियुक्तगण गवाह ने कथन किया गया है कि माण्डल चौकी पर नाकाबंदी के समय उसके अतिरिक्त दातारसिंह, एएसआई हेमसिंह, नारायणलाल, अमरसिंह व शैतान सिंह मौजूद थे। नाकाबंदी के लिए वे माण्डल थाने से कितने बजे रवाना हुए उसे आज याद नहीं है। रवानगी रपट रोजनामचा में रवानगी दर्ज की गई थी। ऐसा कोई रवानगी संबंधित रिकार्ड पत्रावली में

मौजूद नहीं है। उक्त पेटियां उसने अंग्रेजी शराब की बताई। उसकी पेटियों का रंग व उस पर क्या अंकित था उसे याद नहीं है। यह वह नहीं बता सकता कि कुल कितनी पेटियां थी। यह कहना गलत है कि पेटियों के अंदर क्या था वह नहीं बता सकता है। पेटियां पेक थीं। यह गलत है कि पेटियां उसके समक्ष नहीं खोली गई। उसके सामने कुल कितनी पेटियां खोली गई वह नहीं बता सकता। लेकिन अलग–अलग ब्राण्ड की पेटियां खोली थीं। पेटियां किसने खोली थी वह नहीं बता सकता। उसने नाकाबंदी चौकी के पास अजमेर से भीलवाडा की ओर जो रोड आता है वहां की थी। यह कहना गलत है कि वह गाडी में नहीं चढ़ा हो। गाडी दस चक्का थी। गाडी किस कंपनी की थी वह नहीं बता सकता। मौका नक्शा प्र.पी.11 घटना के दिन ही तैयार किया गया था। प्र.पी. 11 किसके द्वारा तैयार किया गया उसे आज याद नहीं है। प्र.पी.11 कितने बजे तैयार किया गया उसे आज याद नहीं है। गाडी दिन में 11:45 के आसपास रूकवाई थी। यह कहना गलत है कि गाडी रूकवाई गई उस समय गाडी के अंदर कोई व्यक्ति मौजूद नहीं हो। यह कहना गलत है कि गाडी के अंदर उन्होंने किसी को बैठे नहीं पाया हो। यह कहना गलत है कि गाडी के नंबर उसे नहीं पता हो बल्कि एचआर 66 तक नंबर उसे याद है। यह गलत है कि जिस समय गाडी रुकवाई गई उस समय वह नाकाबंदी स्थल पर मौजूद नहीं हो।

15– गवाह पीडब्ल्यू 04 दातारसिंह, पीडब्ल्यू 02 हेमसिंह, पीडब्ल्यू 05 नारायण, पीडब्ल्यू 07 चिराग अली व पीडब्ल्यू 06 हंसराज ने मौके पर उनके साथ शैतान सिंह, अमरसिंह का होना बताया है। इस संबंध में गवाह पीडब्ल्यू 08 शैतान सिंह के बयानों का अवलोकन करें तो गवाह पी.डब्ल्यू 08 शैतानसिंह ने सशपथ बयानों में कथन किया है कि दिनांक 08.10.2015 को वह थाना माण्डल चौकी पर कानि के पद पर तैनात था। उसी दिन वह , दातार सिंह हेड कॉनि. चिराग अली, हेमसिंह, कॉनि, अमरसिंह, हंसराज व नारायण के साथ मुखबीर की सूचना के मुताबिक अजमेर से आने वाले रोड पर नाकाबंदी कर रहे थे। समय 11. 5 एएम पर ट्रक एचआर 66 ए 8304 अजमेर की तरफ से आया। जिसे एस आई दातार सिंह ने हाथ देकर रूकवाया, चालक का नाम पूछा तो हरपाल मीणा व खल्लासी ने अपना नाम नवदीप अहीर होना बताया। ट्रक का तिरपाल हटवाया जाकर कॉनि. हंसराज व अमरसिंह से चेक करवाया, अंदर बॉडी में बावल के कट्टे उसके नीचे अगेजी शराब के कार्टून रखे हुए होना बताया। एसआई दातार सिंह द्वारा उक्त अंग्रेजी शराब के लाइसेंस परमिट बाबत पूछा तो नहीं होना बताया। मौके पर कार्रवाई हेतु स्वतंत्र गवाह की आवश्यकता होने से श्री दातार सिंह जी ने उसे दो स्वतंत्र गवाह लाने के लिए भेजा जिस पर वह तलाश कर स्वतंत्र गवाह महावीर वैष्णव व दिलीप कुमावत को लेकर आया। मौके से 12.30 पीएम पर वे सभी रवाना हो थाने पर आकर दातार सिंह द्वारा अवैध शराब व चावल के कट्टे व ट्रक की जप्ती की कार्रवाई की। जिसमें 200 कट्टे चावल के, 170 कार्टून हरियाणा ब्राण्ड की बोतलों के कार्टून, 50 कार्टून हरियाणा निर्मित अंग्रेजी शराब के पव्वों के व 80 कार्टून बीयर की बोतलों व ट्रक मय उसमें मिले दस्तावेज जप्त किये व मुल्जिम हरपाल व नवनीत को जरिये फर्द गिरफतार किया। दौराने जिरह अधिवक्ता अभियुक्तगण गवाह ने कथन किया गया है कि नाकाबंदी की सूचना सुबह 10.00 बजे मिली। जप्तशुदा शराब चावल के कट्टों पर कोई मार्का व पहचान चिह्न लगा हो तो उसे पता नहीं है। घटना स्थल पर दातार सिंह द्वारा कोई जप्ती व कार्रवाई नहीं की गई, थाने पर की। माण्डल चौकी से माण्डल थाने पर आने में 15 मिनट लगते हैं। माण्डल थाने में आने के बाद चावल के कट्टों एवं शराब के कार्टूनों की जप्ती में करीब 2–3 घंटे लगे थे। यह कहना गलत है कि चावल के कट्टों एवं शराब के कार्टूनों को जप्त करने में लगे 2–3 घंटे के समय कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं था। स्वतंत्र साक्षियों को वे माण्डल चौराहे से लेकर आए थे। यह कहना सही है कि माण्डल थाने के आसपास हजार पांच सौ स्वतंत्र व्यक्ति निवास करते हैं व घूमते हैं। उसके सामने चावल के कट्टों को नहीं खोला बल्कि शराब के कार्टूनों को खोला था। उसके समक्ष कितने कार्टून खोले उनकी संख्या उसे याद नहीं। उसके सामने चावल के कट्टे व शराब के कार्टूनों का कोई वेट नहीं

किया गया।

16– गवाह पीडब्ल्यू 04 दातार सिंह ने शैतान सिंह से दो स्वतंत्र गवाह तलब करने एवं शैतान सिंह के द्वारा महावीर व दिलीप को लाकर पेश करने का कथन किया है। इस संबंध गवाह पीडब्ल्यू 01 महावीर के बयानों का अवलोकन करें तो गवाह पी.डब्ल्यू–1 महावीर ने सशपथ बयानों में कथन किया है कि इस बात को लगभग तीन साल हो गए हैं। फर्द जब्ती कागजात ट्रक व बिल्टी चावल प्रदर्श पी01 है। फर्द जब्ती अंग्रेजी शराब व चावल के कट्टे प्रदर्श पी02 है। फर्द नक्शा मौका प्रदर्श पी03 है। उक्त हस्ताक्षर उसने माण्डल चौकी व माण्डल हाईवे पर किये थे। पुलिस ने बताया कि ट्रक जो कि चावल के कट्टे से भरा था, जिसमें शराब भी मिली थी, में गवाह बनना है। जिस पर वह गवाह बनने के लिये तैयार हो गया था व पुलिस कार्यवाही पर उसने हस्ताक्षर किये थे। उसके अलावा दिलीप कुमावत भी था। दौराने जिरह अधिवक्ता अभियुक्तगण गवाह ने कथन किया है कि यह कहना गलत है कि उसने उक्त तीनों फर्दों पर हस्ताक्षर माण्डल थाने में किये हो , बल्कि उक्त तीनो फर्दों पर हस्ताक्षर उसने माण्डल चौकी पर किये थे। यह कहना सही है कि उसने उक्त तीनो फर्दों पर हस्ताक्षर पुलिस वालों के कहने पर किये। ट्रक के अंदर कितने कार्टून शराब के थे व कितने कट्टे चावल के थे यह वह नहीं बता सकता क्योंकि उसने शराब के कार्टून व चावल के कट्टो को नहीं देखा और न ही ट्रक को देखा। यह कहना सही है कि जब उसने हस्ताक्षर किये उस समय वहां कौन कौन था यह वह नहीं बता सकता, उस वक्त वह अकेला ही था। यह कहना सही है कि जिन फर्दो पर उसने हस्ताक्षर किये उनमें क्या लिखा हुआ था उसे पढकर नहीं सुनाया था और न ही उसकी जानकारी में है। प्रदर्श पी01, पी02 व पी03 फर्दो पर उसके हस्ताक्षर किस बात के करवाये यह उसे पता नहीं। उक्त तीनो फर्दो पर पुलिस वालों ने क्या लिखा था यह उसे पता नहीं है। यह बात सही है कि प्रदर्श पी 01, पी02 व पी03 पर हस्ताक्षर उसने माण्डल चौकी पर किये थे। उक्त तीनों फर्दो पर हस्ताक्षर उसने किस तारीख, किस महिने व किस साल में किये उसे जानकारी नहीं है।

17– गवाह पीडब्ल्यू 04 दातार सिंह ने शैतान सिंह से दो स्वतंत्र गवाह तलब करने एवं शैतान सिंह के द्वारा महावीर व दिलीप को लाकर पेश करने का कथन किया है। गवाह पी.डब्ल्यू. 03 दिलीप ने सशपथ बयानों में कथन किया कि इस बात को लगभग तीन साल हो गये हैं। फर्द जब्ती कागजात, ट्रक व बिल्टी चावल प्रदर्श पी01 है। फर्द जब्ती अंग्रेजी शराब व चावल के कट्टे प्रदर्श पी02 है। फर्द नक्शा मौका प्रदर्श पी० 3 है। उक्त हस्ताक्षर उसने माण्डल थाने पर किये थे। माण्डल चौराहे से पुलिस वाले एक ट्रक लेकर आये थे वे भी साथ में थे। जिसके नम्बर एचआर 66 ए 8304 थे। थाने पर आकर पुलिस ने ट्रक का तिरपाल हटवाया तो उसमें चावल के कट्टे थे व उसके नीचे शराब के कार्टून थे। जिस पर पुलिस ने कार्यवाही की। उसके अलावा महावीर जी भी कार्यवाही में थे। दौराने जिरह अधिवक्ता अभियुक्तगण गवाह ने कथन किया है कि आज से तीन वर्ष पूर्व 10 महीने की 9 तारीख को उसके सामने ट्रक के कागजात व चावल की बिल्टी जब्त की थी। उसके सामने पुलिस ने लाल व पीले कलर के कागज जब्त किये थे इनके अलावा और भी कागज जब्त किये थे। जिनका कलर सफेद था। चावल के कट्टों पर क्या लिखा हुआ था। यह आज उसे याद नहीं है। चावल के कट्टे सफेद कलर के प्लास्टिक के थे। प्लास्टिक के चावल के एक कट्टे को उनके सामने खोला था। किस आदमी ने कट्टा खोला यह उसे याद नहीं है। जब्तशुदा ट्रक में लगभग 70–80 कार्टून शराब थी। 70–80 कार्टूनों में किस–किस प्रकार की शराब थी। यह वह नहीं बता सकता। यह कहना सही है कि उक्त तीनों फर्दो पर हस्ताक्षर उसने माण्डल थाने पर किये थे। वह जब मौके पर पहुंचा तब ट्रक मौके पर खड़ी थी। प्रदर्श पी01 में जब्ती में उसके सामने चावल के कट्टे व शराब जब्त की गई। इसके अलावा प्रदर्श पी01 में अन्य कोई जब्ती नहीं की गई, इसके संबंध में उसके हस्ताक्षर करवाये गये थे। वह नहीं बता सकता कि जब्तशुदा वाहन किस व्यक्ति के नाम से है। उसने गाड़ी के स्वामित्व

संबंधी कागजात नहीं देखे थे।

18– गवाह पीडब्लयू 04 दातार सिंह ने जप्ती की कार्यवाही कर जप्तशुदा शराब व नमूना सैंपल को जमा मालखाना करने के कथन किए हैं। इस संबंध में गवाह पीडल्यू 07 कमलेश के बयानों का अवलोकन करें तो गवाह पी.डब्ल्यू 07 कमलेश कुमार(सहवन से अंकित) ने सशपथ बयानों में कथन किया है कि दिनांक 08.10.2015 को थाना माण्डल पर एचएम मालखाना पद पर कार्यरत था। उस दिन श्री दातार सिंह जी सब इंस्पेक्टर साहब ने प्रकरण से 329/2015 धारा 19/54 आबकारी में जब्ती के अनुसार माल जमा करवाया। जिसे उसने मालखाना रजि० में कम 174/2015 अंकित किया। उक्त माल में 80 कार्टून बीयर के है, जिस पर मार्क ए 1 से ए 80 अंकित है तथा कार्टून रॉयल गॉड व्हिस्की है, जिस पर मार्क बी 1 से बी 80 हैं और 80 कार्टून एनआईएक्सी व्हिस्कि के हैं. जिस पर मार्क सी 1 से सी 80 है, रॉयल स्टेग के 20 कार्टून के हैं. जिस पर मार्क डी1 से की 80 है। ड्राईजीन व्हिस्की के 50 कार्टून, वो हैं जिस पर मार्क ई 1 से ई 80 है तथा उक्त माल के नमूना सैपल मार्क ए, बी, सी, डी, ई सिलचिट बंद अवस्था में है तथा 200 कट्टे चावल के एक ट्रक टाटा ए 8304 को वजह सबूत जब्त करके मालखाना कराया, जिसको उसने मालखाने में इन्द्राज करके मालखाना रजिस्टर में इन्द्राज करके मालखाने में सुरक्षित रखा था। उक्त माल के नमूना सैंपल दिनांक 15.10.2015 को श्रीमान एसएचओ के आदेश से कांस्टेबल हिन्दूलाल में 1557 की मय कागजात के उक्त माल के नमूना सैंपल मार्क ए, बी, सी, डी, ई मय कागजात के दूरस्थ अवस्था में संभालकर एसपी ऑफिस भीलवाडा रवाना किया था। एसपी ऑफिस भीलवाडा पहुंच भीलवाडा से अग्रेषण पत्र प्राप्त कर विधिविज्ञान प्रयोगशाला, अजमेर पहुंच दिनांक 16.10.2015 को उक्त आर्टिकल जमा करवाकर रशीद प्राप्त कर, दिनांक 17.10.2015 को उसको लाकर पेश की जिसे उसके बाद आईओ श्री मुकुंद सिंह जी एसएचओ साहब को संभलाई। माल एफएसएल भेजने वाले कानि हिंदूलाल के हस्ताक्षर है। मूल मालखाना रजिस्टर आज में माननीय न्यायालय में लेकर आया जो प्रदर्श थी 17 है। न्यायालय पत्रावली में भी प्रदर्श पी 17 है। दौराने जिरह अधिवक्ता अभियुक्तगण गवाह ने कथन किया गया है कि उसके समक्ष जब्तशुदा माल दातार सिंह जी सब इंस्पेक्टर जप्ती अधिकारी लेकर आये थे। यह बात सही है कि उसने पेटियां खोलकर नहीं देखी। पेटियां पाच तरह की ब्रांड की थी। ये बात सही है कि किस–किस ब्राड की कितनी पेटियां थीं, ये वह नहीं बता सकता। दारू की पेटी 12 बोतल होती है जिसका नाप 750 एमएल का होता है। बीयर की पेटी में केन वाली बीयर है। एक पेटी में कितनी बीयर केन थी, ये आज उसे याद नहीं है। बीयर केन का माप 750 एमएल का बीयर हरियाणा ब्रांड की थीं, जिस पर हरियाणा बेवरेज लिखा हुआ था। तफतीश अधिकारी द्वारा माल जब्ती के दिनांक को ही उसके द्वारा मालखाना रजिस्टर में माल का इन्द्राज कर दिया गया था। प्रत्येक ब्रांड की पेटी में से एक पेटी, जिस पर मार्क ए 1, बी1, सी1, डी1, ई 1 अंकित है, में से नमूना सैंपल लिया गया। उक्त समस्त मार्को में प्रत्येक मार्क में एक–एक बोतल कम थी, लेकिन प्रत्येक बाकी पेटी जो कि नमूना सैंपल हेतू निकाली हुई थी। मार्क ए 1, बी1, सी1, डी 1, ई 1 वाली पेटियों में कुल कितनी बोतलें थी जिसे मालवाना में जमा कि गई ये उसे आज याद नहीं है। नमूना सैंपल प्रत्येक बोतल से नहीं लिया गया, ना ही प्रत्येक पेटी से लिया गया। उसके द्वारा मात्र माल को मालखाने में जब्ती अनुसार इन्द्राज कर माल को मालखाने में जमा किया गया। ये बात सही है कि जप्तशुदा माल का नमूना सैंपल उसके सामने नहीं लिया गया। ये कहना गलत है कि विधि प्रयोगशाला में नमूना सैंपल का माल उसके सामने भेजा गया हो, बल्कि अजखुद कहा कि उसके द्वारा ही भेजा गया था। नमूना सैंपल में बीयर 760 एमएल रॉयल स्टेग की एक बोतल 750 एमएल नाईस व्हिस्की की एक बोतल 750 एमएल आईजीन का पव्वा 180 एमएल के थे। उसके द्वारा विधि प्रयोगशाला में नमूना सैंपल जांच हेतु माल जमा होने के छ दिन बाद भेजा गया था। ये कहना गलत है कि उसके द्वारा जो नमूना सैंपल विधि प्रयोगशाला में भेजा गया, उसका इन्द्राज मालखाना रजिस्टर में नहीं किया गया और ना उसे

मालखाना में जमा किया हो। ये बात सही है कि उसने किसी पेटी का माल नहीं रखा। वह नहीं बता सकता कि हिंदूलाल माल को सुपुर्द करने के बाद कहां, रूका, किस अवस्था में रूका, वह नहीं बता सकता।

19– गवाह पीडब्ल्यू 07 कमलेश कुमार ने मालखाना इंचार्ज होने के नाते हिंदुलाल को जप्तशुदा नमूना सैपल एफएसएल जांच के लिए ले जाने हेतु सीलचिट अवस्था में देना बताया है। इस संबंध में गवाह पीडब्ल्यू 14 हिंदुलाल के बयानों का अवलोकन करें तो गवाह पी.डब्ल्यू 14 हिंदूलाल ने सशपथ बयानों में कथन किया है कि वह दिनांक 15.10.2015 को थाना माण्डल में कॉनि. के पद पर तैनात था। उस दिन से उक्त प्रकरण में जप्तशुदा शराब का सैंपल मालखाना इंचार्ज द्वारा उसे दिया गया। सैंपल में 5 आर्टिकल थे, जो सीलचिट अवस्था में थे। कार्यालय जिला पुलिस अधीक्षक भीलवाड़ा से जारी पत्र प्रदर्श पी 21 है। उसने सीलचिट अवस्था सैंपल को विधि विज्ञान प्रयोगशाला में जमा कराया था। जिसकी प्राप्ति रसीद लाकर उसके द्वारा आईओ मुकुंद सिंह को दी गई। दौराने जिरह अधिवक्ता अभियुक्तगण गवाह ने कथन किया है कि उसे दिनांक 15.10.2015 को मालखाना इंचार्ज द्वारा कितने बजे सैंपल दिए इसकी जानकारी उसे नहीं है। वह उक्त सैंपलों को लेने के पश्चात भीलवाड़ा एसपी ऑफिस गया था। उसने उक्त सैंपल एसपी कार्यालय भीलवाडा में एफएसएल शाखा प्रभारी को ले जाकर दे दिए थे। वहां पर एफएसएल शाखा प्रभारी ने पत्र तैयार करते ही सैंपल उसे दे दिए थे। सैंपल शाखा प्रभारी के पास कितने समय रहे आज उसे याद नहीं। जितना समय पत्र बनाने में लगा था उतने समय ही रहा। उसने प्रदर्श 21 पर ए से बी हस्ताक्षर पुलिस अधीक्षक कार्यालय भीलवाड़ा में किए थे। उसने प्रदर्श 21 पर हस्ताक्षर दिनांक 15.10.2015 को किए। प्रदर्श पी 21 पर तारीख 08.10.2015 लिखी हुई है। अजखुद कहा यह तारीख कायमी मुकदमे की है। यह सही है कि दिनांक 08.10.2015 कायमी मुकदमे की लिखा होना प्रदर्श पी 21 पर अंकित नहीं है। उसने जप्तशुदा शराब के सैंपल दिनांक 15.10.2015 को विधि विज्ञान प्रयोगशाला अजमेर में जमा नहीं करवाए थे, बल्कि दूसरे दिन जमा करवाए थे। उसे भीलवाडा से विधि विज्ञान प्रयोगशाला अजमेर तक पहुंचने में 4 घण्टे लगे।

20– गवाह पी.डब्ल्यू 09 राकेश ने सशपथ बयानों में कथन किया है कि यह 10–15 साल पहले की बात है। वह और विष्णु उस समय पेट्रोल पंप पर काम करते थे। पुलिस ने मौके पर आकर नक्शा मौका बनाया था। जो प्रदर्श पी 09 है। दौराने जिरह अधिवक्ता अभियुक्तगण गवाह ने कथन किया गया है कि प्रदर्श पी 09 पर उसने हस्ताक्षर किए वह दिनांक व महिना उसे ध्यान नहीं है। समय का भी उसे हस्ताक्षर करते वक्त आज भी ध्यान नहीं है। यह बात सही है कि मौके पर वर्दी में कोई पुलिसवाला नहीं था। यह बात सही है कि उन्होंने पुलिस होने बाबत् कोई पहचान–पत्र नहीं दिखाया। यह बात सही है कि प्रदर्श पी 09 पर ई से एफ उसके द्वारा हस्ताक्षर करते समय उक्त फर्द का कागज खाली था।इस फर्द पर पुलिसवालों ने क्या लिखा–पढ़ी की इसकी उसे जानकारी नहीं है।

21–गवाह पी.डब्ल्यू 10 प्रदीप कुमार ने सशपथ बयानों में कथन किया है कि वर्ष 2015 की बात है। उसके पड़ोसी गांव के सुरेंद्र सिंह जी जो कि उसके परिचित हैं ने उसे फोन करके कहा था कि उसके ट्रक के लिए एक ड्राइवर चाहिए। उसने उसके ही एक परिचित, जो निवासी नंदराम का बास सोनू यादव के बारे में बताया और सोनू से बात की। सोनू ने कहा कि उसकी जानकारी में एक ड्राइवर है। तब उसने उस ड्राइवर को सुरेंद्र के नं.दिये। वह बात कर वहां से चला गया और उन्होंने उसे ड्राइवरी के लिए रख लिया। सुरेंद ने उसे कहा कि अपनी गाड़ी चावलों के काम में चलेगी। सुरेंद्र ने अपने पड़ोसी गांव के नरेश से ट्रक लिया था। नरेश और सुरेंद्र के बीच पैसों को लेकर विवाद भी रहा। नरेश सुरेंद्र से बार–बार आग्रह कर रहा था, कि ट्रक को उसके नाम करवाओ। लेकिन सुरेंद्र नहीं करवा रहा था। फिर उसे जानकारी में आया कि सुरेंद्र का ट्रक शराब के मामले में पकड़ा गया है। उस दिन के बाद

उसका सुरेश से कोई संपर्क नहीं है। उपरोक्त ट्रक के नं. उसे आज याद नहीं है। दौराने जिरह अधिवक्ता अभियुक्तगण गवाह ने कथन किया है कि यह कहना सही है कि सुरेंद्र सिंह के ट्रक पर जिस ड्राइवर को ट्रक चलाने के लिए भेजा था उसको उसने कभी भी सुरेंद्र सिंह का ट्रक चलाते नहीं देखा। यह कहना सही है कि सुरेंद्र सिंह के नाम पर कोई ट्रक नहीं थी। उक्त प्रकरण में जप्तशुदा ट्रक सुरेंद्र सिंह के नाम पर है या नहीं इसकी जानकारी उसे नहीं। उसने जप्तशुदा ट्रक में शराब भरी नहीं देखा और उक्त वाहन में शराब परिवहन करते नहीं देखा। यह कहना सही है कि सुरेंद्र सिंह अवैध शराब का धंधा नहीं करता है। वह माण्डल पहली बार आया है, इससे पहले वह माण्डल मैं कभी कोर्ट, व थाने नहीं आया। यह बात सही है कि सन 2014 में ही नरेश कुमार ने अपना ट्रक सुरेन्द्र सिंह को विक्रय कर दिया था। उक्त राजस्थान पासिंग ट्रक, जो नरेश से सुरेन्द्र सिंह ने खरीदा, उसको सुरेन्द्र ने हरियाणा के नंबर एचजे 18 जीए 1622 का ट्रक, जो पहले राजस्थान पासिंग था वह सुरेन्द्र सिंह के पजेशन में था। यह बात सही है कि दिनांक 08.10.2015 को उक्त ट्रक का मालिक सुरेन्द्र सिंह व नरेश था उसे नहीं पता। गाडी किसके कब्जे में थी, उसे नहीं पता। सुरेन्द सिंह ने तो उससे ड्राइवर मांगा था। यह बात सही है कि नरेश कुमार से सुरेन्द्र सिंह ने खरीदा था। यह बात सही है कि जो ट्रक नरेश से सुरेन्द्र सिंह ने खरीदा था वही ट्रक शराब के मामले में माण्डल थाने में जप्त हुआ था। उसे यह नहीं पता कि सुरेन्द्र सिंह ने कौनसे नंबर की गाडी चलाने के लिए ड्राइवर मांगा था। उससे तो केवल ड्राईवर मांगा था।

22 –गवाह पी.डब्ल्यू 11 बुधराम ने सशपथ बयानों में कथन किया है कि प्रदर्श पी 10 फर्द गिरफतारी व जामा तलाशी मुलजिम नरेश कुमार है। पुलिस वाले भी मौके पर थे। हस्ताक्षर शाम के समय कराये थे। दौराने जिरह अधिवक्ता अभियुक्तगण गवाह ने कथन किया है कि प्रदर्श पी 10 पर उसके हस्ताक्षर पुलिस के कहने से किए। उसने उक्त हस्ताक्षर महेंद्रगढ़ थाने में किए थे। प्रदर्श 10 पर हस्ताक्षर करते समय कौन–कौन व्यक्ति मौजूद थे उसे नहीं पता। यह कहना सही है कि प्रदर्श 10 पर जब उसने हस्ताक्षर किए तब उस पर कुछ भी लिखा नहीं था, खाली कागज था, उसे पुलिस ने हस्ताक्षर करने के लिए कहा इसलिए कर दिए। किस बात के हस्ताक्षर करवाए इसकी भी उसे जानकारी नहीं है। दिनांक 10.03.2017 को वह माण्डल, वह स्वयं, ओमप्रकाश अहीर, ईश्वर आये थे। महेन्द्रगढ़ हरियाणा की पुलिस को नरेश को सुपुर्द किया उस समय वह व ओमप्रकाश थे व माण्डल से पुलिस वाले भी थे। प्रदर्श पी 10 पर हस्ताक्षर महेन्द्रगढ़ थाने पर ही किए थे। यह हस्ताक्षर उसे उसके पुलिस द्वारा नरेश को ले जाने के संबंध में किये थे। उसके अलावा ओमप्रकाश ने भी उक्त प्रदर्श पी 10 पर हस्ताक्षर किये थे। वह और ओमप्रकाश, नरेश के साथ थाना माण्डल नहीं आये थे।

23–गवाह पी.डब्ल्यू 12 जयप्रकाश ने सशपथ बयानों में कथन किया है कि वर्ष 2015 की बात है। वह श्री श्याम रोड फाइनेंस ट्रांसपोर्ट कंपनी का मालिक था। हरपाल ड्राइवर ने डी.डी. इंटरनेशनल से चावल ट्रक नं. एच आर 61, 8304 में भरवाए थे। ड्राइवर हरपाल व गाडी मालिक नरेश ने मिलीभगत कर रास्ते में आधे चावल महेंद्रगढ़ उतरवा दिए थे एवं रास्ते में कहीं से शराब भर ली थी। माण्डल में अवैध शराब पकड़ी गई थी। दौराने जिरह अधिवक्ता अभियुक्तगण गवाह ने कथन किया है कि हरपाल ड्राइवर ने डी.डी. इंटरनेशनल से कौन सी तारीख को चावल भरे उसे पता नहीं। यह बात सही है कि हरपाल व गाड़ी मालिक नरेश को उसने आधे रास्ते में महेंद्रगढ़ में चावल के कट्टे उतारते हुए नहीं देखा और न ही उसकी जानकारी में है। उसे हरपाल और नरेश के आपस में मिली भगत की जानकारी पुलिस ने दी। उसने हरपाल एवं नरेश को गाड़ी में शराब भरते हुए नहीं देखा। यह जानकारी उसे माण्डल पुलिस ने दी और माण्डल पुलिस के कहने से ही उसने ये बात कही। वह हरपाल व नरेश को नहीं जानता है। उसकी इनसे कोई जान पहचान नहीं है।

24–गवाह पी.डब्ल्यू 15 सतीश कुमार ने सशपथ बयानों में कथन किया है कि वह वर्ष

2015 में उप परिवहन निरीक्षक नारनोल के पद पर पदस्थापित था। दिनांक 12.08.2015 को कार्यालय रजिस्टर रिकॉर्ड अनुसार ट्रांसफर हुए ट्रक सं. आरजे 18 जीए 1622 ट्रांसफर होकर आई जिसे एच आर 66 ए 8304 नरेश कुमार पुत्र रामचंद्र निवासी भगदाना तह. एवं जिला महेंद्रगढ़ के नाम से दर्ज किया गया व उपरोक्त वाहन का नेशनल परमिट नं. 210 एनपी 15 तथा अथॉराइजेशन एनपी/एचआर/12/082015/37524 दिनांक 17.08.2015 को जारी हुआ। जिसकी रजिस्ट्रेशन की प्रमाणित प्रति मय मूल रजिस्टर हाजिर अदालत है। जो मूल रजिस्टर प्रदर्श पी 22 है। जिसकी प्रमाणित प्रति पत्रावली पर प्रदर्श पी 22ए है। व नेशनल परमिट व अथर्थोराइजेशन की प्रमाणित प्रति व मूल रजिस्टर हाजिर अदालत है, जो कि प्रदर्श पी 23 है, जिसकी प्रमाणित प्रति पत्रावली पर प्रदर्श पी 23 ए है, उसके द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत है। दौराने जिरह अधिवक्ता अभियुक्तगण गवाह ने कथन किया है कि जिस समय गाड़ी के नं. एक राज्य के नं. से दूसरे राज्य के न. लिये जाते हैं उस समय वाहन मालिक की आवश्यकता नहीं होती। 2015 में जो ट्रांसफर हुए ट्रक के नं. आर जे 18 जी ए 1622 से एच आर 66 ए 8304 कराते समय वाहन मालिक कार्यालय में उपस्थित नहीं हुआ हो तो उसे जानकारी नहीं है। उक्त परमिट जो 17.08.2015 को जारी किया गया वह वाहन मालिक के प्रतिनिधि भी कराया जा सकता है। रजिस्टर में एंट्री प्रदर्श 23 है, वह फर्द उसकी कलमी नहीं है तथा प्रदर्श 22 भी उसकी कलमी नहीं है, और न ही उसके द्वारा तैयार किया गया। वाहन को हरियाणा पासिंग कराते समय उक्त वाहन को रजिस्टर्ड मालिक द्वारा ट्रांसफर कराने से पूर्व किसी अन्य व्यक्ति को विक्रय कर दिया हो तो उसे जानकारी नहीं है।

25–गवाह पी.डब्ल्यू 13 मुकुंद सिंह ने सशपथ बयानों में कथन किया है कि वह दिनांक 08.10.2015 को थाना माण्डल पर थानाधिकारी के पद पर था। उस दिन दातार सिंह एसआई थाना माण्डल में एक तहरीरी रिपोर्ट मय गिरफ्तारशुदा मुल्जिमान हरपाल व नवदीप तथा जप्तशुदा शराब का ट्रक नं. एचआर 66A8304 शराब से भरा हुआ पेश किया। जिस पर इसे 229/15 धारा 19/54 एक्साइज एक्ट में प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान उसके द्वारा शुरू किया। रिपोर्ट प्रदर्श पी 4 है। चाक एफआईआर प्रदर्श पी 5 है। अनुसंधान के दौरान उसने घटनास्थल का निरीक्षण किया। जिसकी फर्द प्रदर्श पी 3 है। गवाहान श्री दातार सिंह, चिराग अली, शैतान सिंह, हेमसिंह, महावीर दास, दिलीप, अमरसिंह, हंसराज, नारायणलाल के बयान उनके कथनानुसार लिए गए। ट्रक के कागजात आरसी प्रदर्श 12, परमिट प्रदर्श 13,14 इंश्योरेंस पोल्यूशन सर्टिफिकेट, ऑथोराइजेशन सर्टिफिकेट, बिल्टी प्रदर्श 15, चालान प्रदर्श 16, चावलों के पेमेंट संबंधी डीडी इत्यादि प्राप्त किए जाकर शामिल फाईल किए। जप्तशुदा शराब के लिए गए सैंपल एफएसएल भेजने हेतु पत्र तैयार किया, जो प्रदर्श 17 है। एसपी ऑफिस से विधि विज्ञान प्रयोगशाला अजमेर सैंपलों को भेजने का पत्र जारी किया। शराब एफएसएल में जमा हुआ उसकी रसीद थाने पर प्राप्त हुई, जो प्रदर्श 18 है व शामिल पत्रावली करने का उसका इंडोर्समेंट व हस्ताक्षर है। संपूर्ण अनुसंधान से अभियुक्त हरपाल पिता किशनलाल मीणा निवासी नंदरामपुरवास एवं नवदीप पिता धर्मवीर अहीर निवासी नंदरामपुरावास थाना दारूहेड़ा जिला रेवाड़ी हरियाणा, जो कि मौके पर ही गिरफ्तार किए गए थे। अनुसंधान के दौरान अन्य अभियुक्त ट्रक मालिक सुरेंद्र सिंह पिता प्रताप सिंह अहीर निवासी बूचावास थाना महेंद्रगढ़ हरियाणा,नरेश कुमार पिता रामचंद्र अहीर निवासी भगदामा थाना कनीना जिला महेंद्रगढ़ के विरूद्ध अपराध धारा 19/54 प्रमाणित पाया जाने से गिरफ्तार मुल्जिमान हरपाल एवं नवदीप के विरूद्ध संपूर्ण चालान एवं अदम गिरफ्तार सुरेंद्र सिंह एवं नरेश कुमार के विरूद्ध धारा 299 सीआरपीसी में अनुसंधान पेंडिंग रखते हुए उनके वारंट जारी करवाए गए। अभियुक्त हरपाल एवं नवदीप के विरूद्ध संपूर्ण चार्जशीट पेश की जो प्रदर्श 19 है। अभियुक्त सुरेंद्र सिंह एवं नरेश कुमार के विरूद्ध अनुसंधान जारी रखा गया। अभियुक्त सुरेंद्र सिंह को दिनांक 10.02.2016 को गिरफ्तार कर उसके विरुद्ध तितंबा चार्जशीट पेश की जो प्रदर्श 20 है। अन्य अभियुक्त नरेश कुमार गिरफतार नहीं होने से उसके

खिलाफ अनुसंधान पेंडिंग रखा गया है। दौराने जिरह अधिवक्ता अभियुक्तगण गवाह ने कथन किया है कि वह घटना स्थल पर मौजूद नहीं था। इसलिए उसने गिरफतारशुदा मुलजिमान एवं जप्तशुदा वाहन को मौके पर नहीं देखा। अजखुद कहा कि जप्तीकर्ता दातारसिंह एसआई ने प्रार्थना पत्र के साथ दोनों गिरफतारशुदा अभियुक्तों को एवं जप्तशुदा शराब को उसके समक्ष पेश किया था। उसने जप्तशुदा शराब के सैंपल नहीं लिए। सैपल जो उसने एफएसएल के लिए भेजे थे, उन सैंपलों में क्या लिखा हुआ था, जो उन सैंपलों के उपर है लिखा था कि उसमें शराब है। कुल कितने सैंपल थे, उसे याद नहीं है। वह पत्रावली देखकर बता सकता है। जप्तशुदा शराब के लिए गए सैंपलों पर लगे हुए कंपनी के लेबल के आधार पर ही वह कह रहा है कि उनमें शराब थी। बाकी उसने सूंघकर व चखकर नहीं देखी। यह कहना सही है कि जिस समय उसने घटना स्थल का निरीक्षण कर प्रदर्श पी 3 मूर्तिब किया उस वक्त अभियुक्त वाहन एवं गवाह नहीं थे। अजखुद कहा कि अन्य गवाहान थे। दातारसिंह एसआई गिरफतारशुदा मुल्जिमों एवं जप्तशुदा वाहन को कहां से लेकर आए इसकी जानकारी उसे नहीं है। उनके द्वारा दी गई तहरीरी रिपोर्ट में उसका अंकन है। यह बात सही है कि जप्तशुदा वाहन के कागजात इत्यादि उसके द्वारा थाना माण्डल में ही एसआई दातारसिंह से लेकर शामिल फाईल किए थे। यह बात सही है कि उसके सामने एसआई दातार सिंह ने शराब के सैंपल नहीं लिए और न ही उसके समक्ष शराब के कॉर्टून गिनकर जप्त किए थे। ट्रक न. एच आर 66 ए 8304 का असल मालिक कौन था, यह वह नहीं बता सकता। अजखुद कहा कि पत्रावली देखकर बता सकता है। उक्त ट्रक हरियाणा से पूर्व में किस राज्य से पासिंग थी, वह नहीं बता सकता।

26–गवाह पी.डब्ल्यू 16 हरीश कुमार ने सशपथ बयानों में कथन किया है कि वह दिनांक 10.03.2017 को थाना माण्डल पर थानाधिकारी के पद पर तैनात था। उस समय प्रकरण संख्या 329/2015 दिनाक 08.10.2015 धारा 19/54 आरई एक्ट का अनुसंधान पूर्व अनुसंधान अधिकारी मुकुंद सिंह पुलिस निरीक्षक द्वारा अनुसंधान पूर्ण किया जाकर मुल्जिम हरपाल पिता किशनलाल मीणा, नवदीप पिता धरमवीर अहीर, सुरेंद्र पुत्र प्रताप सिंह अहीर के विरूद्ध 19/54 आरई एक्ट का अपराध प्रमाणित मानकर इनके विरूद्ध अपूर्ण चार्जशीट नं. 390/15 दिनांक 11.02.2016 को कता की गई तथा मुल्जिम नरेश कुमार पिता रामचंद्र अहीर निवासी भगदामा जिला महेंद्रगढ़ के विरुद्ध धारा 19/54 ए आबकारी अधि में धारा 299 सीआरपीसी में माननीय न्यायालय के समक्ष पेश की गई। तत्पश्चात मुल्जिम नरेश कुमार अहीर का स्थायी गिरफतारी की पालना में तामिल कुलिन्दा श्री उदयलाल हेड कॉनि 15 पुलिस थाना माण्डल के द्वारा दिनांक 10.03.2017 को जरिये फर्द गिरफतारी के गिरफतार किया जाकर माननीय न्यायालय में पेश किया गया। जिस पर उसके द्वारा मुल्जिम नरेश कुमार के विरुद्ध माननीय न्यायालय में पूर्ण चार्जशीट कताकर पेश की गई। दौराने जिरह अधिवक्ता अभियुक्तगण गवाह ने कथन किया है कि यह कहना सही है कि उसके द्वारा उक्त पत्रावली में किसी प्रकार का कोई अनुसंधान नहीं किया गया है। यदि अनुसंधान अधिकारी ने धूमिल अनुसंधान किया हो तो इसकी उसे कोई जानकारी नहीं है। यह बात सही है कि अनुसंधान अधिकारी द्वारा किये गये अनुसंधान के आधार पर ही पूर्ण चार्जशीट कता की गई।

27– जहां तक अभियुक्त नवदीप पर आरोपित अपराध धारा 19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम का प्रश्न है तो इस संबंध में पत्रावली पर आई अभियोजन साक्ष्य का अवलोकन करने से जाहिर है कि गवाह पीडब्ल्यू 04 दातार सिंह ने दिनांक 08.10.2025 को स्वयं का पुलिस चौकी मांडल पर एएसआई के पद पर पदस्थापित होने, जरिये मुखबिर ट्रक नंबर एचआर 66 ए 8304 में चावल के कट्टो के नीचे अंग्रेजी शराब भरी हुई होकर अहमदाबाद जाने बाबत इत्तिला मिलने, जिस पर उसके द्वारा हेमसिंह चिराग शैतान सिंह अमरसिंह हंसराज व नारायण के साथ चौकी मांडल से रवाना होकर चौकी के सामने हाईवे पर

नाकाबंदी करने, 11.45 पीएम पर ट्रक नंबर एचआर 66 ए 8304 का आने जिसे ईशारा देकर रूकवाने चालक के द्वारा अपना नाम हरपाल व खलासी के द्वारा अपना नाम नवदीप बताने, हंसराज व अमरसिंह के द्वारा ट्रक को चैक करने पर चावल के कट्टो के नीचे अंग्रेजी शराब के कार्टून भरे हुए मिलने, शैतान सिंह के द्वारा दो स्वतंत्र गवाह महावीर व दिलीप लाकर पेश करने, थाने पर मय जप्तशुदा ट्रक मय शराब मय चालक मय खलासी पहुंचने, थाने पर त्रिपाल खुलवाकर ट्रक मे भरे हुए चावल के कट्टे व शराब के कार्टून को चैक करने पर उसमें बीयर के 80 कार्टून, रॉयल गॉल्ड के 70 कार्टून, डिलक्स व्हिस्की के 80 कार्टून, रॉयल स्टेट के 20 कार्टून बोतलों से भरे हुए व प्रत्येक में 12 बोतल व ड्राईजीन के 50 कार्टून जिनमें 48–48 पव्वे भरे हुए व 200 कट्टे चावल के भरे हुए मिलने, हरपाल व नवदीप के पास लाईसेंस नहीं होने, समस्त शराब को कब्जे पुलिस लेकर एफएसएल भेजने हेतु बीयर के कार्टूनों में से एक ही मार्का होने से एक केन अलग से निकालकर सीलकर बाकी कार्टूनों पर सील चपडी करने, सैंपल केन पर मार्का ए व बाकी पर मार्का ए 1 से ए 80 अंकित करने, रॉयल गॉल्ड कार्टून के एक ही मार्का होने से एक कार्टून में से एक बोतल निकालकर सीलमोहर कर सैंपल पर मार्का बी व बाकी कार्टून पर बी 2 से बी 70 अंकित करने, व्हिस्की के कार्टूनों में से एक बोतल एफएसएल हेतु निकालकर सीलमोहर कर मार्का सी अंकित करने व सैंपल कार्टून पर मार्का सी 1 से सी 80 अंकित करने, रॉयल स्टेट के 20 कार्टून में सभी बोतल पर एक ही मार्का होने से सभी बोतल में से एक बोतल निकालकर सीलमोहर कर मार्का डी अंकित करने व बाकी पर मार्का डी 01 से डी 20 अंकित करने, ड्राईजीन के 50 कार्टूनों में सभी पव्वों पर एक ही मार्का होने से एक पव्वा वास्ते नमूना सैंपल निकालकर सील मोहर कर मार्का ई व शेष पर मार्का ई 1 से ई 50 अंकित करने, कागजात व बिल्टी जप्त करने, ट्रक जप्त करने का कथन किया है। दौराने जिरह गवाह ने कथन किया है कि दिनांक 08.10.2015 को मुखबीर की सूचना प्राप्त होने के समय वह अकेला था व इसकी जानकारी केवल उसे ही थी। वक्त नाकाबंदी रूकवाए गए ट्रक के शराब के कार्टूनों को उस वक्त उसने नहीं खोला था। यह कहना सही है कि वक्त नाकाबंदी उसने वाहन में शराब होने का अंदेशा होते हुए मौके पर वाहन व शराब को जप्त नहीं किया। गवाह पीडब्ल्यू 02 हेमसिंह, पीडब्ल्यू 05 नारायण, पीडब्ल्यू 07 चिराग अली व पीडब्ल्यू 06 हंसराज ने नाकाबंदी के दौरान ट्रक एचआर 66 ए 8304 को रूकवाने, ट्रक चालक के द्वारा उसका नाम हरपाल व खलासी के द्वारा उसका नाम नवदीप बनाने, ट्रक में अंग्रेजी शराब की पेटियां व चावल होने, चालक व खलासी के पास लाईसेंस नहीं होने, ट्रक में अवैध शराब मिलने का कथन किया है। गवाह पीडब्ल्यू 08 शैतान सिंह ने भी नाकाबंदी के दौरान ट्रक नंबर एचआर 66 ए 8304 को रूकवाने, ट्रक चालक के द्वारा उसका नाम हरपाल व खलासी के द्वारा उसका नाम नवदीप बनाने व दातार सिंह के द्वारा उसे स्वतंत्र गवाह लेने हेतु भेजने, उसके द्वारा स्वतंत्र गवाह महावीर व दिलीप को लाने व अवैध शराब जप्त होने का कथन किया है। स्वतंत्र गवाह पीडब्ल्यू 03 दिलीप ने भी ट्रक नंबर एचआर 66 ए 8304 में से चावल के कट्टे व अवैध शराब बरामद होने का कथन किया है।

28– इस प्रकार गवाहान पीडब्ल्यू 04 दातारसिंह, पीडब्ल्यू 02 हेमसिंह, पीडब्ल्यू 05 नारायण, पीडब्ल्यू 07 चिराग अली, पीडब्ल्यू 06 हंसराज, पीडब्ल्यू 08 शैतान सिंह एवं पीडब्ल्यू 03 दिलीप ने ट्रक नंबर एचआर 66 ए 8304 में से अभियुक्तगण हरपाल व नवदीप के कब्जे से अवैध शराब बरामद होने के कथन किए हैं। उक्त गवाहों से अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा विस्तृत जिरह की गई परंतु दौराने जिरह गवाहों की अभियुक्तगण हरपाल व नवदीप से अवैध शराब बरामद होने बाबत साक्ष्य अखंडनीय रही है। गवाह पीडब्ल्यू 04 दातार सिंह ने जप्ती की कार्यवाही कर जप्तशुदा शराब व नमूना सैंपल को जमा मालखाना करने के कथन किए हैं। इस संबंध में गवाह पीडब्ल्यू 07 कमलेश कुमार एचएम मालखाना के बयानों का अवलोकन करें तो गवाह पीडब्ल्यू 07 कमलेश ने दिनांक 08.10.2015 को दातार सिहं के द्वारा प्रकरण संख्या 329/15 धारा 19/54 राजस्थान आबकारी में

जप्तशुदा माल जमा कराने जिसे उसके द्वारा रजिस्टर के क्रम संख्या 174/15 पर दर्ज करने जिसमें नमूना सैंपल मार्क ए, बी, सी, डी, ई सीलचिट बंद अवस्था में व जप्तशुदा अन्य शराब को जमामालखाना करने के कथन किया है। साथ ही गवाह पीडब्ल्यू 07 कमलेश ने कानि हिंदूलाल को नमूना सैंपल मार्क ए, बी, सी,डी, ई विधि विज्ञान प्रयोगशाला में जमा कराने हेतु देने का कथन किया है। गवाह पीडब्ल्यू 14 हिंदूलाल ने दिनांक 15.10.2015 को मालखाना इंचार्ज के द्वारा सैंपल 5 आर्टिकल सीलचिट अवस्था में देने जिससे उसके द्वारा सीलचिट अवस्था में विधि विज्ञान प्रयोगशाला में जमा करा देने का कथन किया है। प्रदर्श पी 18 प्राप्ति रसीद में 05 सीलबंद पैकेट नमूने रासायनिक जांच हेतु सीलचिट अवस्था में प्राप्त होने का अंकन है। विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट प्रदर्श सी 01 में भी यह तथ्य स्पष्ट आया है कि हिंदूलाल द्वारा मार्क ए लगायत ई नमूना सैम्पल विधि विज्ञान प्रयोगशाला में शील्ड हालत में जमा कराया गया। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि अभियुक्त नवदीप व अन्य अभियुक्त से शराब बरामद होने से लेकर एफ.एस.एल. में जमा कराये जाने तक सैम्पल मार्क मार्क ए लगायत ई शील्ड सुरक्षित हालत में था। विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट प्रदर्श सी 01 पत्रावली पर उपलब्ध है। उक्त रिपोर्ट धारा 293 (4) (ई) दण्ड प्रकिया संहिता के प्रावधानानुसार सहायक निर्देशक (रसायन) द्वारा किये जाने से बिना औपचारिक साक्ष्य के ग्राहय योग्य है। उक्त रिपोर्ट के मुताबिक नमूना सैम्पल मार्क ए का परीक्षण करने पर उसमें 86.30, मार्क बी में 25.40, मार्क सी में 24.21, मार्क डी में 24.21, मार्क ई में 26.58 under proof ethyl alcohol पाया गया।

29– अधिवक्ता अभियुक्त नवदीप का तर्क रहा है कि प्रकरण का स्वतंत्र गवाह पीडब्ल्यू 01 महावीर ने शराब के कार्टून व चावल के कट्टों को नहीं देखने और न ही ट्रक को देखने का कथन किया है। गवाह पीडब्ल्यू 01 महावीर ने प्रदर्श पी 01 ,पी02 व पी03 पर हस्ताक्षर मांडल चौकी पर करने का कथन किया है। ऐसे में स्वतंत्र गवाह महावीर के बयानों से जप्ती कार्यवाही ही संदेहास्पद हो जाती है। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्याय दृष्टांत Rizwan khan vs the state of chhattisgarh on 10 september, 2020 AIR 2020 SC 4297 में प्रतिपादित किया है कि "It is settled law that the testimony of the official witnesses cannot be rejected on the ground of non–corroboration by independent witness. As observed and held by this Court in catena of decisions, examination of independent witnesses is not an indispensable requirement and such non–examination is not necessarily fatal to the prosecution case, [see Pardeep Kumar (supra)] माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सम्मानित न्यायिक दृष्टंात Kallu Khan v. State of Rajasthan 2021 SCC Onl SC 1223 दिनांक 11.12.2021 में उक्त मत निष्कर्ष की पुष्टि करते हुए प्रतिपादित किया है कि–"16. The issue raised regarding conviction solely relying upon the testimony of police witnesses, without procuring any independent witness, recorded by the two courts, has also been dealt with by this Court in the case of Surinder Kumar (supra) holding that merely because independent witnesses were not examined, the conclusion could not be drawn that accused was falsely implicated. Therefore, the said issue is also well–settled and in particular, looking to the facts of the present case, when the conduct of the accused was found suspicious and a chance recovery from the vehicle used by him is made from public place and proved beyond reasonable doubt, the appellant cannot avail any benefit on this issue. . In our view, the concurrent findings of the courts does not call for interference.." इस प्रकार उपरोक्त सम्मानित न्यायिक दृष्टांतों के अवलोकन से न्यायालय का यह मत है कि मात्र स्वतंत्र एवं निष्पक्ष साक्षी पीडब्ल्यू 01 महावीर के पक्षद्रोही

गवाह की भांति कथन करने के कारण जप्ती कार्यवाही को न तो पूर्ण रूप से नकारा जा सकता है और न अवैध माना जा सकता है। इसलिए पीडब्लयू 01 महावीर के पक्षद्रोही गवाह की भांति कथन करने मात्र से अभियोजन कहानी पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है।

30– जहां तक अधिवक्ता अभियुक्त का यह तर्क है कि अन्य मौतबीर गवाह पीडब्ल्यू 04 दातारसिंह, पीडब्ल्यू 02 हेमसिंह, पीडब्ल्यू 05 नारायण, पीडब्ल्यू 07 चिराग अली, पीडब्ल्यू 06 हंसराज व पीडब्ल्यू 08 शैतान सिंह पुलिस कर्मचारी है। मौतबीर के पुलिस कर्मचारी होने से उसकी साक्ष्य पर पूर्णरूप से भरोसा नहीं किया जा सकता है। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टांत Tahir v. State (Delhi), (1996) 3 SCC 338, में प्रतिपादित किया है कि–"6. .....Where the evidence of the police officials, after careful scrutiny, inspires confidence and is found to be trustworthy and reliable, it can form basis of conviction and the absence of some independent witness of the locality to lend corroboration to their evidence, does not in any way affect the creditworthiness of the prosecution case."इसी प्रकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टांत NCT of Delhi v Sunil [(2000) 1 SCC 748], में प्रतिपादित किया है–"We feel that It is an archaic notion that actions of the police Officer, should be approached with initial distrust. It is time now to start placing at least initial trust on the actions and the documents made by the Police. At any rate, the Court cannot start with the presumption that the police records are untrustworthy. As a proposition of law, the presumption should be the other way round. The official acts of the Police have been regularly performed is a wise principle of presumption and recognized even by the Legislature" अन्य मामले Girja Prasad (dead) by Lrs. vs. State of M.P.(2007) 7 SCC 625 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित किया गया है –"24. .....The presumption that every person acts honestly applies as much in favour of a Police Official as any other person. No infirmity attaches to the testimony of Police Officials merely because they belong to Police Force. The rule of prudence may require more careful scrutiny of their evidence. But, if the Court is convinced that what was stated by a witness has a ring of truth, conviction can be based on such evidence." इस प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय प्रतिपादित उक्त सिद्धांतों के प्रकाश में न्यायालय के समक्ष यह स्थिति परिलक्षित होती है कि पुलिस कर्मचारी को मौतबीर बनाने मात्र से अभियोजन कहानी पर संदेह उत्पन्न नहीं हो जाता है। अतः अधिवक्ता अभियुक्त नवदीप का यह तर्क स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

31– जहां तक प्रकरण में अभियुक्त सुरेंद्र पर आरोपित अपराध धारा 19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम का प्रश्न है तो इस संबंध में अभियोजन पक्ष को न्यायालय को यह साबित करना है कि अभियुक्त सुरेंद्र के सचेतन्य ट्रक संख्या एचआर 66ए 8304 में से जप्तशुदा शराब बरामद हुई जिसको सुरेंद्र को अपने पास रखने का कोई वैध लाईसेंस नहीं था। पत्रावली पर आई अभियोजन साक्ष्य का अवलोकन करें तो गवाह पीडब्ल्यू 04 दातार सिंह, पीडब्ल्यू 02 हेमसिंह, पीडब्ल्यू 05 नारायण, पीडब्ल्यू 07 चिराग अली, पीडब्ल्यू 06 हंसराज, पीडब्ल्यू 08 शैतान सिंह एवं पीडब्ल्यू 03 दिलीप ने ट्रक नंबर एचआर 66ए 8304 में से अभियुक्तगण हरपाल व नवदीप के कब्जे से अवैध शराब बरामद होने के कथन किए हैं। उक्त गवाहों ने न्यायालय के समक्ष मौके पर अभियुक्त सुरेंद्र की मौके पर उपस्थित हो या उसके कब्जे से जप्तशुदा शराब बरामद हुई हो ऐसा कोई कथन नहीं किया है। अभियोजन पक्ष के किसी भी गवाह ने ऐसा कोई कथन नहीं किया है कि अभियुक्त सुरेंद्र के

कब्जे से प्रकरण में जप्तशुदा शराब बरामद हुई हो। अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय के समक्ष ऐसी कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई है जिसे न्यायालय के समक्ष यह जाहिर आता हो कि अभियुक्त सुरेंद्र कुमार के कब्जे से जप्तशुदा शराब बरामद हुई हो। ऐसे में अभियोजन पक्ष न्यायालय के समक्ष यह साबित नहीं कर पाया है कि अभियुक्त सुरेंद्र को प्रकरण में किस प्रकार सलिंप्त किया गया। अतः अभियोजन पक्ष अभियोजन साक्ष्य के माध्यम से न्यायालय के समक्ष अभियुक्त सुरेंद्र के विरुद्ध आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है।

32– जहां तक अभियुक्त नरेश पर आरोपित अपराध धारा 19/54 ए राजस्थान आबकारी अधिनियम का प्रश्न है तो पत्रावली पर आई अभियोजन साक्ष्य का अवलोकन करने से जाहिर है कि गवाह पीडब्ल्यू 04 दातारसिंह ने वाहन चालक हरपाल द्वारा पेश की गई आरसी प्रदर्श पी 12 होने, वाहन से संबंधित नेशनल परमिट पार्ट ए, पार्ट बी प्रदर्श 13 व प्रदर्श पी 14 होने का कथन किया है। इस संबंध में पत्रावली पर प्रदर्शित आरसी प्रदर्श पी 12 ट्रक नंबर एचआर 66 ए 8304 का अवलोकन करें तो इसमें वाहन का नंबर एचआर 66 ए 8304 का रजिस्ट्रेशन नरेश कुमार के नाम होना अंकित है। प्रदर्श पी 13 व 14 नेशनल परमिट पार्ट ए व पार्ट बी में भी परमिट हॉल्डर का नाम नरेश कुमार एवं वाहन का नंबर एचआर 66 ए 8304 होना अंकित है। गवाह पीडब्ल्यू 15 सतीश ने प्रदर्श पी 22 मूल रजिस्टर व जिसकी प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी 22 ए न्यायालय के समक्ष प्रदर्शित कराई है। प्रदर्श पी 22 ए मोटर व्हिकल रजिस्टर का फार्म नंबर 24 है जिसमें वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर एचआर 66 ए 8304 व मालिक का नाम नरेश कुमार अंकित है। गवाह पीडब्ल्यू 15 सतीश कुमार ने वर्ष 2015 में स्वयं का उप परिवहन निरीक्षक नारनोल के पद पर पदस्थापित होना बताकर दिनांक 12.08.2015 को कार्यालय रजिरस्टर रिकॉर्ड के अनुसार ट्रांसफर हुए ट्रक नंबर आरजे 18 जीए 1622 ट्रांसफर होकर आने जिसे एचआर 66 ए 8304 नरेश कुमार पुत्र रामचंद्र निवासी भगदाना तहसील एवं जिला महेंद्रगढ़ के नाम से दर्ज करने का कथन किया है। ऐसे में न्यायालय के समक्ष प्रदर्श पी 12 आरसी, प्रदर्श पी 13 व पी 14 नेशनल परमिट पार्ट ए व बी एवं प्रदर्श पी 22 के अवलोकन से जाहिर है कि ट्रक नंबर एचआर 66 ए 8304 घटना के समय नरेश के नाम ही रजिस्टर था। ऐसे में न्यायालय के समक्ष अभियोजन पक्ष यह साबित करने में सफल रहा है कि अभियुक्त नरेश ने दिनांक 08.10.2025 को 4.15 पी.एम पर मांडल चौकी के सामने हाईवे पर दीगर अभियुक्तगण के साथ मिलकर ट्रक संख्या एच.आर. 66 ए 8304 में अग्रेंजी शराब 1920 केन बीयर 80 कार्टून, 170 कार्टून में कुल 2024 बोतलें एवं 50 कार्टून पव्वे कुल 2400 पव्वे अपने पास रखकर बिना वैध लाईसेंस के अपराध करने के प्रयोजन से उक्त वाहन प्रयोग में लिया।

33– अधिवक्ता अभियुक्त नरेश का तर्क रहा है कि नरेश के द्वारा घटना से पूर्व ही ट्रक नंबर एचआर 66 ए 8304 को अभियुक्त सुरेंद्र को बेच दिया गया था। इस संबंध में पत्रावली पर आई साक्ष्य का अवलोकन करें तो गवाह पीडब्ल्यू 10 प्रदीप ने उसके पडोसी गांव के सुरेंद्र सिंह द्वारा उससे ट्रक के लिए एक ड्राईवर चाहने हेतु कहने जिस पर उसके द्वारा सोनू से उसकी बात कराने का कथन किया है। उक्त गवाह ने सुरेंद्र के द्वारा पडोसी गांव के नरेश से ट्रक लेने का कथन किया है। साथ ही कथन किया है कि नरेश सुरेंद्र से बार–बार कह रहा था कि ट्रक को उसके नाम करवाओ लेकिन सुरेंद्र नहीं करवा रहा था। उक्त गवाह ने दौराने जिरह स्पष्ट रूप से कथन किया है कि सुरेंद्र सिंह के नाम पर कोई ट्रक नहीं थी। यह बात सही है कि दिनांक 08.10.2015 को उक्त ट्रक का मालिक सुरेंद्र सिंह व नरेश था, उसे नहीं पता। इस प्रकार गवाह पीडब्ल्यू 10 प्रदीप कुमार ने मुख्य परीक्षा मे तो सुरेंद्र के द्वारा नरेश से ट्रक खरीदने का कथन किया है परंतु दौराने जिरह सुरेंद्र के नाम पर कोई ट्रक नहीं होने व दिनांक 08.10.2015 को ट्रक का मालिक सुरेंद्र या नरेश था, पता नहीं होना बताया है। गवाह पीडब्ल्यू 10 प्रदीप ने ऐसा कोई कथन नहीं किया है कि उसके सामने नरेश से सुरेंद्र

द्वारा ट्रक नंबर एचआर 66ए 8304 खरीदा हो। अभियुक्त नरेश के द्वारा बयान मुलजिम में उसके द्वारा वर्ष 2014 में अपनी गाडी को विक्रय कर देने का कथन किया है परंतु अभियुक्त नरेश ने ऐसा कोई कथन नहीं किया है कि उसने यह ट्रक किसको विक्रय किया एवं विक्रय संबंधी कोई भी दस्तावेज न्यायालय के समक्ष पेश कर प्रदर्शित नहीं कराया है। अभियोजन एवं अभियुक्त नरेश की ओर से न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया है जिससे न्यायालय के समक्ष यह जाहिर आता हो कि अभियुक्त नरेश के द्वारा जप्तशुदा ट्रक को विक्रय कर दिया गया हो एवं घटना के समय जप्तशुदा ट्रक का मालिक अभियुक्त सुरेंद्र हो। प्रदर्श पी 12 आरसी, प्रदर्श पी 13 व 14 नेशनल परमिट एवं प्रदर्श पी 22 के अवलोकन से ट्रक नंबर एचआर 66ए 8304 का मालिक नरेश होना जाहिर है। ऐसे में अधिवक्ता अभियुक्त नरेश का उक्त तर्क उनकी कोई सहायता नहीं करता है।

34– अतः उपरोक्त समस्त विवेचन व निष्कर्ष के आधार पर पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों से अभियोजन पक्ष अभियुक्त नवदीप के विरूद्ध धारा 19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम व अभियुक्त नरेश के विरुद्ध आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 19/54ए राजस्थान आबकारी अधिनियम संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है एवं अभियुक्त सुरेंद्र के विरूद्ध आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है।

––आदेश––

35– अतः अभियुक्त नवदीप अहीर पिता श्री धर्मवीर अहीर, निवासी नंदरामपुरवास , पुलिस थाना धारूहेड़ा, जिला रेवाड़ी (हरियाणा) (राज.) को आरोपित अपराध धारा 19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम व अभियुक्त नरेश कुमार पिता रामचंद्र अहीर, निवासी भगड़ाना, थाना कनीना, जिला महेन्द्रगढ़ (हरियाणा) को आरोपित अपराध धारा 19/54ए राजस्थान आबकारी अधिनियम के आरोप में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है। जबकि अभियुक्त सुरेंद्र सिंह पिता प्रतापसिंह अहीर निवासी बुचावास, थाना महेन्द्रगढ़, जिला महेन्द्रगढ़ (हरियाणा) को आरोपित अपराध धारा 19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम के आरोप में दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

(अंजना अग्रवाल)
सिविल न्यायाधीश एवं
न्यायिक मजिस्ट्रेट
माण्डल, भीलवाड़ा (राज.)

– सजा के प्रश्न पर –

36– सजा के प्रश्न पर सुना गया। अधिवक्ता अभियुक्तगण नवदीप व नरेश का तर्क है कि अभियुक्तगण प्रथम अपराध है, उसके विरुद्ध कोई पूर्व दोषसिद्धि पत्रावली पर साबित नहीं है। नरमी का रूख अपनाते हुए उसे परीवीक्षा अधिनियम का लाभ प्रदान किये जाने का निवेदन किया।

37– पत्रावली का पुनः अवलोकन किया गया। अभियुक्तगण नवदीप व नरेश पर आरोपित अपराध गम्भीर प्रकृति का होने से उसके प्रति नरमी का रूख अपनाया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है जप्तशुदा शराब की मात्रा को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त नवदीप व नरेश को निम्नानुसार दण्डित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

––दण्डादेश––

38– अतः अभियुक्त नवदीप अहीर पिता श्री धर्मवीर अहीर, निवासी नंदरामपुरवास , पुलिस थाना धारूहेड़ा, जिला रेवाड़ी (हरियाणा) (राज.) को अपराध अंतर्गत धारा 19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम के अपराध के आरोप में 3 वर्ष (अक्षरे तीन वर्ष) के

साधारण कारावास और 20,000/– (अक्षरे बीस हजार रूपए) रूपये के अर्थदंड से दण्डित किया जाता है। अदम अदायगी अर्थदण्ड अभियुक्त 30 दिवस का साधारण कारावास पृथक से भुगतेगा।

39– अभियुक्त नरेश कुमार पिता रामचंद्र अहीर, निवासी भगड़ाना, थाना कनीना, जिला महेन्द्रगढ़ (हरियाणा) को अपराध अंतर्गत धारा 19/54 ए राजस्थान आबकारी अधिनियम के अपराध के आरोप में 3 वर्ष (अक्षरे तीन वर्ष) के साधारण कारावास और 20,000/– (अक्षरे बीस हजार रूपए) रूपये के अर्थदंड से दण्डित किया जाता है। अदम अदायगी अर्थदण्ड अभियुक्त 30 दिवस का साधारण कारावास पृथक से भुगतेगा।

40– अभियुक्तगण के द्वारा प्रकरण के अनुसंधान/अन्वीक्षा के दौरान पुलिस एवं न्यायिक अभिरक्षा में बितायी गयी अवधि धारा 428 द०प्र०सं० के तहत नियमानुसार समायोजित की जावे। अभियुक्तगण का नियमानुसार सजा वारण्ट बनाया जावे। अधिवक्ता अभियुक्तगण को निर्णय की प्रति निःशुल्क उपलब्ध करवाई जावे। हस्तगत प्रकरण में जप्तशुदा शराब का यदि निस्तारण नहीं हुआ है तो बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार निस्तारित की जावे।

41– अभियुक्तगण द्वारा पूर्व में न्यायालय में उपस्थिति बाबत् प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किए जाते है।

(अंजना अग्रवाल)
सिविल न्यायाधीश एवं
न्यायिक मजिस्ट्रेट
माण्डल, भीलवाड़ा (राज.)

42– निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 19–03–2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अंजना अग्रवाल)
सिविल न्यायाधीश एवं
न्यायिक मजिस्ट्रेट
माण्डल, भीलवाड़ा (राज.)